



# वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वित्तीय वर्ष 2024-2025



**सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप,  
अलवर ( राज. )- 301002



## कंपनी के मूल्य

- कंपनी का हित सर्वोपरि
- ईमानदारी
- जिम्मेदारी
- परस्पर सहयोग
- गुणवत्ता
- दूरदर्शिता
- समय की पाबंदी



## ध्येय वाक्य

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी अपनी सभी सदस्याओं से गुणवत्ता युक्त दूध का संकलन लाभकारी मूल्य पर करेगी और दूध उत्पादन वृद्धि और व्यवसाय से लाभ अर्जित करने के लिए पशु नस्ल सुधार और तकनीक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी। कंपनी अपनी सदस्याओं के आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए कृत संकल्प है।



## दीर्घ दृष्टि वाक्य

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी दूध व्यवसाय के क्षेत्र में उत्तरी भारत की दूध व्यवसाय से जुड़ी प्रमुख संस्थायों में से एक होगी। कंपनी अपने कार्यक्षेत्र की दूध उत्पादक महिलाओं की पहली पंसद होगी और दूध और दूध उत्पाद की उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाएगी।

निदेशक मंडल

( 31 मार्च 2025 को स्थिति)

1.	श्रीमती पिकी शर्मा	:	अध्यक्षा एवं निदेशक
2.	श्रीमती रेखा कुमारी	:	निदेशक
3.	श्रीमती ललिता	:	निदेशक
4.	श्रीमती दया शर्मा	:	निदेशक
5.	श्रीमती पूनम कुमारी	:	निदेशक
6.	श्रीमती बबिता	:	निदेशक
7.	श्रीमती सुमन देवी शीशिया	:	निदेशक
8.	श्रीमती सुमन कुमारी पदमपुरा	:	निदेशक
9.	श्रीमती सविता कुमारी	:	निदेशक
10.	श्रीमती गायत्री सिहाग	:	निदेशक
11.	श्रीमती सरोज देवी	:	निदेशक
12.	श्री बलजिंदर सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
13.	श्री रघु हासन मल्लेगौड़ा	:	विशेषज्ञ निदेशक
14.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

वैधानिक अंकेक्षक  
मैसर्स केएमजीएस एंड  
एसोसिएट, दिल्ली  
आंतरिक अंकेक्षक  
मैसर्स केपीएमजी एशयोरेंस एंड  
कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी,  
गुरुग्राम, हरियाणा

कंपनी सचिव  
श्री सौरभ जैन

वित्त प्रबन्धक  
श्री धीरज जैन

बैंकर्स  
बैंक ऑफ़ बडौदा, अलवर  
एक्सिस बैंक, अलवर  
आईसीआईसीआई बैंक, अलवर  
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, अलवर,  
आईडीबीआई बैंक, अलवर  
पीएनबी बैंक, अलवर  
बैंक ऑफ़ इंडिया, अलवर,

पंजीकृत कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय: प्लाट संख्या -8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर -301002

कोर्पोरेट पहचान संख्या: U01122RJ2016PTC049648

टेलीफोन 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाइट: [www.sakhimilk.com](http://www.sakhimilk.com)

रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट (आर.टी.ए.)

बीटल फाइनेंसियल एंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के पास  
नई दिल्ली-110062

## अनुक्रमणिका

क्रम स.	विवरण	पेज
1.	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट	3-19
2.	अंकेक्षको की रिपोर्ट एवं उनके अनुलग्नक	20-36
3.	वित्तीय खाते एवं उनके नोट्स	37-53
4.	दसवीं वार्षिक आम सभा का नोटिस एवं सम्बंधित अनुलग्नक	54-70
5.	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट	71-72
6.	प्रतिनिधि फॉर्म	73-74
7.	प्राप्ति रसीद	75
8.	उपस्थिति पर्ची	76

नोट:- हिंदी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता पाए जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।

## निदेशकों की रिपोर्ट

### सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की सदस्याओं के लिए:-

निदेशकों को 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) के अंकेक्षित खातों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मार्च 2016 को राजस्थान राज्य में किया गया जो सदस्यों से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर संग्रहण, क्रय तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन संबंधी सभी प्रकार की क्रियाओं हेतु किया गया।

### वित्तीय परिणाम:-

संक्षिप्त में वित्तीय प्रदर्शन निम्न प्रकार हैं:-

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि लाख रूपये में)	31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (राशि लाख रूपये में)
संचालन से राजस्व	70,087	42,666
अन्य आय	282	191
<b>कुल राजस्व</b>	<b>70,369</b>	<b>42,857</b>
कुल खर्च	70,291	41,961
<b>कर के पूर्व लाभ/(हानि)</b>	<b>78</b>	<b>896</b>
कर के लिए प्रावधान	17	238
<b>कर के पश्चात लाभ/(हानि)</b>	<b>61</b>	<b>658</b>

### कम्पनी के संचालन का विवरण:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालन से कुल राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 42,666 लाख से बढ़कर 70,087 लाख हो गया, इस प्रकार इसमें 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष के कुल व्यय रूपये 41,961 लाख की तुलना में वृद्धि के साथ रूपये 70,291 लाख रहे हैं। कर पश्चात लाभ घटकर 61 लाख हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 658 लाख था।

### सीमित लाभांश :-

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने सात रूपये प्रति समता अंश की दर से 18,11,949 समता अंशों पर कुल रूपये 1,26,83,643 (एक करोड़ छब्बीस लाख तिरासी हजार छः सौ तेतालीस रूपये) लाभांश (डिविडेंड) की राशि देने की अनुशंसा की है। लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान उन सदस्याओ को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च 2025 को कम्पनी के सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

### सामान्य संचय में हस्तान्तरण :-

कम्पनी के अन्तर्नियमो के अनुच्छेद 11.10 के साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल ने 61,19,629/- (इकसठ लाख उन्नीस हजार छः सौ उनतीस रूपये) की राशि को वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए बैलेन्स-शीट में सामान्य संचय में क्रेडिट के लिए हस्तान्तरण करने का प्रस्ताव किया है।

### संचालन की समीक्षा :-

#### **दुग्ध संकलन**

कम्पनी दुग्ध संकलन का संचालन राजस्थान राज्य के अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, चुरू, बीकानेर और धोलपुर जिलों में और हरियाणा राज्य के फतेहाबाद, सिरसा में, पंजाब के मानसा एवं भटिंडा एवं मध्यप्रदेश के भिंड एवं मुरैना जिलो में कुल 2,893 गाँवों में 26 एमसीसी एवं 25 बीएमसी के माध्यम से चल रहा है। वर्ष के दौरान, कम्पनी ने 13,93,85,541 लीटर तरल दुग्ध का संकलन किया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने राजस्थान के बीकानेर और धौलपुर जिलों के अतिरिक्त 1200 गांवों से प्रतिदिन 1,50,000 किलोग्राम दूध की खरीद शुरू करते हुए अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया ।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने सान्थिया फोडर एण्ड एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की एनडीडीबी के मार्गदर्शन में सीबीबीओ (CBBO) के रूप में सहायता की है जो कि कंपनी द्वारा वर्ष 2023 में निगमित की गई थी।

वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के पास 89,886 बोर्ड अनुमोदित सदस्य थे। इस प्रकार सदस्यों ने कम्पनी के कार्यों में अपना विश्वास दिखाया है। यह स्वस्थ संकेतक कम्पनी की विकास गाथा को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से अधिक से अधिक सक्रिय सदस्यों के परस्पर सहयोग और समर्थन के साथ आने वाले वर्षों में उच्चतम शिखर तक पहुँच जायेगा। सदस्याओं को कम्पनी में नियमित दुग्ध आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी ने अपनी सदस्याओं को दो करोड़ अस्सी लाख रूपये का प्रोत्साहन दिया है।

जहाँ तक खरीद मूल्यों का सम्बन्ध है, कम्पनी अपने द्वारा आपूर्ति किए जा रहे दुग्ध के प्रति अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य का भुगतान करती रही है।

कम्पनी लगातार लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, बेहतर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता जाँच और बेहतर लॉजिस्टिक नियंत्रण आदि के माध्यम से क्षमता को बढ़ाने और उत्पादकता को अधिकतम करने का प्रयास कर रही है।

### विपणन, बिक्री एवं वितरण: -

मकर संक्रांति के अवसर पर, कंपनी ने अपने उत्पाद समूह में मदर डेयरी के दूध और दूध उत्पादों का विपणन शुरू किया है और थोड़े से समय में ही कंपनी ने वित्तीय वर्ष के अंत तक राजस्थान के अलवर जिले में लगभग 5,500 किलोग्राम प्रतिदिन दूध और दूध उत्पादों की बिक्री का मुकाम हासिल कर लिया है।

### विलय एवं समामेलन:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने रूहानी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के विलय की योजना को मंजूरी दी है।

### उत्पादकता बढ़ाने हेतु सेवाएँ: -

#### आहार संतुलन कार्यक्रम (RBP) :-

कम्पनी के संचालन क्षेत्र में, उत्पादक पुरानी भोजन प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। पशुओं की आवश्यकता के अनुसार बेहतर भोजन पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कम्पनी ने आहार संतुलन कार्यक्रम (RBP) को अपनाया है। उक्त कार्यक्रम के तहत दुग्ध उत्पादकों को पशुओं के लिए संतुलित आहार खिलाने की सलाह दी जाती है, जिसे सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है। दुग्ध उत्पादकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास उपलब्ध खाद्य सामग्रियों का उपयोग करके संतुलित आहार दें, जिससे दुग्ध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य में वृद्धि होगी तथा दुग्ध उत्पादन लागत में कमी आयेगी। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आहार संतुलन कार्यक्रम के तहत 11,152 नए मवेशियों को शामिल किया गया है।

#### कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएँ:-

कम्पनी ने प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ कम लागत में दुग्ध उत्पादन बढ़ सके, जिसके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों की आय में वृद्धि की जा सके।

इस कार्यक्रम हेतु कम्पनी द्वारा ग्रामीण स्तर पर युवकों का चयन के पश्चात NDDB के प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान सेवा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों के बाद पशु की पुनः गर्मी की जाँच, 90 दिनों के बाद गर्भधारण की जाँच एवं ब्याने तक का विवरण भारत पशुधन सॉफ्टवेयर में सुरक्षित रखा जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए लगभग 27,549 AI की है। (प्रथम AI फौलोअप में 46 प्रतिशत की गर्भाधान दर की निरन्तरता)

### **बाँझपन उपचार शिविर :-**

क्यों कि बाँझपन पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने में एक बड़ी बाधा है, इसलिए कम्पनी अपने संचालन क्षेत्र में बाँझपन उपचार शिविरों का आयोजन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कुल 361 बाँझपन उपचार शिविरों में 8,050 मवेशियों का परीक्षण किया। जाँचे गए मवेशियों में से 7,820 मवेशियों को एनेस्ट्रेस (anestrous) से पीड़ित पाया गया, जिसके लिए उचित उपचार दिया गया है और कुल 6,680 मवेशी ठीक हो गए हैं।

### **कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट (CMT) :-**

मास्टिटिस, एक संभावित घातक स्तन ग्रंथि संक्रमण दुनिया भर में डेयरी मवेशियों में सबसे आम बीमारी है। यह डेयरी उद्योग के लिए सबसे महंगी बीमारी भी है।

इसलिए, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने दुग्ध उत्पादक मवेशियों के लिए कुल 15,914 सीएमटी (कैलिफोर्निया मास्टिटिस टेस्ट) आयोजित करवाए। परीक्षण किए गए कुल मवेशियों में से 4,011 मवेशी उक्त बीमारी से ग्रसित पाए गए, जिनका इलाज किया गया एवं इन्हें ठीक किया गया।

### **पशु आहार :-**

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लगभग 8922 मीट्रिक टन पशु आहार बेचा, जबकि पिछले वर्ष यह 3,468 मीट्रिक टन था, जो 157 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

### **खनिज मिश्रण :-**

कम्पनी ने संचालन के क्षेत्र में उपलब्ध चारे, जलवायु और खेलाने की आदतों को ध्यान में रखते हुए अपने ब्रांड नाम के तहत खनिज मिश्रण विकसित किया है और स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन और दुग्ध पशुओं के प्रजनन में सुधार के लिए उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध करा रहा है। कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 71 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण का विक्रय किया।

**गुणवत्तापूर्ण पहल:-**

सभी मिल्क चिलिंग सेंटर (एमसीसी) एवं बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) जिनका उपयोग किया जा रहा है, कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए बुनियादी परीक्षण सुविधाओं और उपकरणों से पूर्णतः सुसज्जित हैं। कम्पनी के संचालन में उच्च गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने और बनाए रखने की दिशा में, कम्पनी ने स्वच्छता पर जोर देने के साथ सभी सम्बन्धितों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया है जो सीधे दुग्ध की गुणवत्ता से जुड़े हैं। ग्राम स्तर पर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए 410 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 3908 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया ।

**प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम:-**

सदस्यों को डेयरी से सम्बन्धित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। सदस्यों, संभावित सदस्यों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार थे -

क्रम सं.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	आयोजित प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1	सहायको के लिए रिफ्रेशर कार्यक्रम	17	2040
2	गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम	1320	44880
3	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	2420	75020
4	उन्मुखीकरण कार्यक्रम (वीसीजी)	149	3720
5	उन्मुखीकरणकार्यक्रम (एमआरजी)	40	800
6	ग्राम संपर्क समूह बैठकें	6291	28940
7	कर्मचारियों के लिए जीका प्रशिक्षण	4	108

## बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान, उत्पादक निदेशकों को डेयरी व्यवसाय और दूध उत्पादक कंपनी के बारे में बेहतर परिप्रेक्ष्य देने के लिए एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा डेयरी प्लांट के बारे में उन्हें बेहतर जानकारी देने के लिए मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड (MDFVPL), पिलखुवा प्लांट का शैक्षिक दौरा आयोजित किया गया।

## वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सामग्री में परिवर्तन:-

31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इस रिपोर्ट की तारीख तक सामग्री/आवश्यक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और नियामकों और न्यायालयों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे कम्पनी की स्थिति और इसके भविष्य का संचालन प्रभावित हो।

## व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

## निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरण:-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, ऐसे मामलों में जहां कंपनी के अवैतनिक लाभांश खाते में रखे गए लाभांश उनके हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अदावाकृत या असंदत रहते हैं, कंपनी ऐसे बकाया लाभांश को किसी भी अर्जित ब्याज के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है। धारा 125(1) के तहत स्थापित आईईपीएफ, अदावाकृत लाभांश के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करता है।

चूँकि कंपनी ने अपने सभी शेयरधारकों को पूर्ण लाभांश का भुगतान कर दिया है और कंपनी में कोई असंदत लाभांश नहीं है, इसलिए कंपनी को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के लिए अवैतनिक लाभांश खाते में कोई भी राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

## अंश पूंजी और सदस्यता:-

31 मार्च, 2025 तक, प्रदत्त समता अंश पूंजी 1811.949 लाख रुपये थी, जिसमें कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में सौ रुपये के 18,11,949 समता अंश और 89,886 सदस्यता शामिल थी।

31 मार्च, 2025 के बाद, कंपनी ने 11,007 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी है, जिनके पास 177192 शेयर हैं और 6,940 नए सदस्यों को नामांकित किया है और नए और मौजूदा सदस्यों को 155.59 लाख रुपये की शेयर पूंजी आवंटित की है और इसलिए, इस रिपोर्ट की तारीख तक सदस्यों की कुल संख्या 85,819 है, जिनके पास 1790.347 लाख रुपये की शेयर पूंजी है। और शेष 21.60 लाख रुपये के 21602 शेयर कमपनी के जब्त खाते (फोर्फिटेड खाते) में है।

### **वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आम सभा में उपस्थिति:-**

वे दुग्ध उत्पादक, जो इस रिपोर्ट की दिनांक को सदस्य थे, वार्षिक आम सभा में भाग ले सकेंगे। वोट का अधिकार हर उस सदस्य को होगा, जिसने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कम से कम 200 दिन और 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति की हो।

### **निदेशक मण्डल:-**

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6 के संदर्भ में, श्रीमती पिकी शर्मा (डीआईएन 09312032), श्रीमती बबीता (डीआईएन 09678588) और श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त होंगी और श्रीमती बबीता (डीआईएन 09678588) पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं और श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) एवं श्रीमती पिकी शर्मा (डीआईएन 09312032) अपात्र होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति श्रीमती सावित्री यादव (डीआईएन 11270236) (क्लास बी का प्रतिनिधित्व) की नियुक्ति से भरी जा सकती है। और अन्य एक रिक्ति को क्लास के लिए उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण भरा नहीं जा सका।

वर्ष के दौरान श्री ब्रजेश नारायण सिंह (डीआईएन: 08019957) ने दिनांक 20 अगस्त, 2024 से विशेषज्ञ निदेशक के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है और श्री रघु हासन मल्लेगौड़ा (डीआईएन: 08936193) को 30 अगस्त, 2024 से दो वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, श्री धर्मेन्द्र कुमार (डीआईएन: 07563916) ने दिनांक 18 मई, 2024 को मुख्य कार्यकारी और पदेन निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है और 18 मई, 2024 से सेकंडमेंट आधार पर कंपनी के मुख्य कार्यकारी और पदेन निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है (कंपनी और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के बीच एक सेकंडमेंट समझौते के आधार पर)।

पुनः, श्री धर्मेन्द्र कुमार (डीआईएन: 07563916) ने दिनांक 31 मार्च, 2025 को मुख्य कार्यकारी और पदेन निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है और श्रीमती रचना देवधर गोयल (डीआईएन: 08892551) ने 01 अप्रैल, 2025 से कंपनी में मुख्य कार्यकारी और पदेन निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

### निदेशकों के दायित्व सम्बन्धी विवरण:-

जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक है। कम्पनी के निदेशक पुष्टि करते हैं कि -

(क) वित्तीय वर्ष के लेखे तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किए हैं जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त हैं कि 31 मार्च 2025 तक कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

(ग) कम्पनी की सम्पत्तियों की सुरक्षा के साथ छल-कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखे तैयार करने तथा उनके रख-रखाव के लिए आवश्यक, पर्याप्त एवं उचित सावधानी रखी है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को चालू संस्था के आधार पर तैयार किया है।

(ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

### अंकेक्षक:-

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों, मैसर्स केएमजीएस एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिल्ली को कंपनी की अपनी छठी वार्षिक आम बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

### आन्तरिक नियंत्रण पद्धति तथा अंकेक्षण:-

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही एवं उचित आन्तरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है।

मैसर्स केपीएमजी एश्योरेस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को स्वतंत्र रूप से कम्पनी का आन्तरिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया है जो कि स्वतंत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ-साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने मेसर्स ई एंड वाई के स्थान पर मेसर्स केपीएमजी एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

### हितधारक संबंध समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) की आवश्यकता के अनुसार कंपनी के हितधारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए बोर्ड द्वारा हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया था। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हितधारक समिति की बैठक 29 मार्च 2025 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में की गयी थी, जिसमें समिति के समस्त सदस्य उपस्थित थे।

### मानव संसाधन:-

कम्पनी से सम्बंधित लोग कम्पनी की संपत्ति हैं और कम्पनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जुनून, प्रतिबद्धता, स्वामित्व की भावना और टीम वर्क ने कम्पनी को विकसित होने में सक्षम बनाया है। कम्पनी हमेशा एक सकारात्मक, सहायक, खुले और उच्च प्रदर्शन कार्य संस्कृति और पर्यावरण की पेशकश करने के लिए प्रयासरत है जहाँ नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है, प्रदर्शन को पहचाना जाता है और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

कम्पनी के विजन, मिशन और वैल्यूज का पालन कम्पनी के दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर अक्षरशः किया जा रहा है।

### सूचना प्रौद्योगिकी:-

सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी के विभिन्न कार्यों को सहायता प्रदान करती हैं और सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बनाने में मदद करती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य कार्य संचालन में दक्षता में सुधार करने, सही सूचना के आधार पर निर्णय लेने और राजस्व बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करना है। हमारी कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप, सिस्टम को सुव्यवस्थित और ऑनलाइन बना रहा है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने उद्योग मानकों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने और अनुपालन एवं सुरक्षा बढ़ाने तथा दैनिक दूध खरीद, सदस्यता प्रबंधन, शेयरधारिता विवरण आदि जैसे विशाल मात्रा में डेटा के प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए SAP सॉफ्टवेयर को क्रियान्वित किया है, जिससे संगठन में एकीकृत योजना बनाना संभव हो पाया है।

### कर्मचारियों का विवरण :-

रिपोर्ट के अन्तर्गत वर्ष के दौरान, कम्पनी के किसी भी कर्मचारी को कम्पनी अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के बराबर या उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हुआ।

### ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी :-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के तहत आवश्यक ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित जानकारी, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के प्रावधानों के साथ पठित और अध्याय XXIA का विवरण इस प्रकार है:

ए) कंपनी विनियमों के भाग ए और बी और ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी समावेश के सम्बन्ध में कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

बी) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण इस प्रकार है:

विदेशी मुद्रा अर्जन - शून्य विदेशी मुद्रा व्यय - शून्य

### बोर्ड बैठकें :-

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की नौ (9) बैठकें विधिवत रूप से आयोजित की गईं। इस अवधि के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:-

Board Meeting No.	Date of Board Meeting	Board Strength	No. of Directors Present
52 <sup>ND</sup>	18.05.2024	11	10
53 <sup>RD</sup>	09.07.2024	11	10
54 <sup>TH</sup>	24.07.2024	11	11
55 <sup>TH</sup>	30.08.2024	11	10
56 <sup>TH</sup>	11.10.2024	14	14
57 <sup>TH</sup>	30.11.2024	14	13
58 <sup>TH</sup>	18.01.2025	14	12
59 <sup>TH</sup>	04.03.2025	14	14
60 <sup>TH</sup>	31.03.2025	14	14

### समिति की बैठकें: -

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, नामांकन समिति की बैठक 28.08.2024 को आयोजित की गई।

### ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण:-

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार कोई ऋण, गारंटी और निवेश नहीं किया है।

### सचिवीय मानक:-

हम इस बात पर प्रकाश डालना चाहते हैं कि कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों के प्रासंगिक प्रावधानों का सावधानीपूर्वक पालन करती है।

### सम्बन्धित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण:-

सम्बन्धित पक्षों के साथ सभी अनुबंध या व्यवस्था आर्म्स लैन्थ प्राईस के आधार पर की जाती है। अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने वाले नोट्स के नोट संख्या 38 पर दिखाई देता है।

### वार्षिक विवरण का सार:-

कंपनी अधिनियम की धारा 92(3) और धारा 134(3)(ए) के साथ-साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के अनुपालन में, 31 मार्च 2025 तक कंपनी का वार्षिक रिटर्न है। कंपनी का वार्षिक विवरण कम्पनी की आधिकारिक वेबसाइट [www.skhimilk.com](http://www.skhimilk.com) पर समीक्षा के लिए उपलब्ध है।

### नियामकों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और सामग्री आदेशों का विवरण:-

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नियामकों, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश जारी नहीं किए गए हैं जो कंपनी की चालू स्थिति या उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेंगे।

### धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हैं:-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 12 के तहत कम्पनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य धोखाधड़ी के अलावा कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई।

### जोखिम प्रबन्धन नीति :-

मैसर्स केपीएमजी एश्योरेस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज एलएलपी आन्तरिक लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्टों में विभिन्न मुद्दों पर अपना जोखिम आकलन देते हैं और इन रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। हमारी कम्पनी के पास किसी भी जोखिम जिससे कम्पनी के अस्तित्व को खतरा हो सकता है की पहचान करने और उसे कम करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति है।

### जमा :-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और समय-समय पर संशोधित कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, हमें यह पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी जमा स्वीकार नहीं किया है। इस वर्ष इसलिए किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

### आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण :-

कम्पनी अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, कम्पनी के पास पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं।

### लागत लेखा परीक्षा और रिकॉर्ड :-

लागत लेखा परीक्षा और लागत अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

### कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के

#### तहत स्पष्टीकरण :-

कम्पनी के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) और उसके अनुपालन में आन्तरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है और सुरक्षित कार्यस्थल नीति को लागू किया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कम्पनी को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

### कम्पनी की सामाजिक जिम्मेदारी :-

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (CSR) संशोधन नियम 2021 के साथ पढ़े जाने के अनुसार, कंपनी ने कोर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व लिया है। और CSR नीति को अपनाया है। जो कि कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री केंद्रीय सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में 8.05 लाख रुपये (आठ लाख पाँच हजार रुपये) का योगदान दिया।

कंपनी (कोर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक-1 के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

**इंसोल्वेन्सी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016:-**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान इंसोल्वेन्सी एण्ड बैंकक्रपसी कोड, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था और न ही कोई कार्यवाही लम्बित थी।

**सतर्कता तंत्र (विजिल मेकेनिज्म) :-**

सतर्कता तंत्र (विजिल मेकेनिज्म) का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

**आभार :-**

कम्पनी का निदेशक मण्डल वर्ष के दौरान अपनी सदस्याओं, व्यावसायिक सहयोगियों और बैंकरों द्वारा दिए गए योगदान एवं नियमित सहयोग के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मण्डल धानी फाउण्डेशन और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के द्वारा दिए गए उनके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल कम्पनी के सभी कर्मचारियों, सभी सम्बन्धितों के सहयोग, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए उनकी सराहना करते हैं, जिनके बिना कम्पनी की सर्वांगीण प्रगति एवं विकास सम्भव नहीं था।

वास्ते निदेशक मण्डल

पिंकी शर्मा

अध्यक्षा

डीआईएन 09312032

दिनांक - 29.08.2025

स्थान - अलवर

## अनुलग्नक-1

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट  
(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम,  
2014 के नियम 8 के साथ पठित)

### 1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:-

कंपनी ने सीएसआर नीति अपनाई है जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित, विस्तृत गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:

- (i) भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन निवारक, " स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना" और स्वच्छता को बढ़ावा देने तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान |
- (ii) विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार संवर्धन व्यवसाय कौशल तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाओं सहित शिक्षा को बढ़ावा देना।
- (iii) पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और जल की गुणवत्ता बनाए रखना सुनिश्चित करना, जिसमें गंगा नदी के पुनरुद्धार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान शामिल है।

### 2. सीएसआर समिति की संरचना:-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है। इसलिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है।

### 3. कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा करने वाला वेब-लिंक:-

<https://www.sakhimilk.com/corporate-social-responsibility-policy/>

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें):-

लागू नहीं

5. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ:-

₹541.39 लाख (पाँच करोड़ इकतालीस लाख उनतालीस हजार रुपये मात्र)

6. (ए) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत:-

₹10.83 लाख (दस लाख तिरासी हजार रुपये मात्र)

(बी) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष:-

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो:-

(डी) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (6क+6ख-6ग):-

7. (ए) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:-

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Lacs)	Amount Unspent (in Lacs)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
8.05	2.78	-	-	-	-

(बी) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:-

लागू नहीं

(सी) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:-

(1) Sl. No.	(2) Name of the Project	(3) Item from the list of activities in schedule VII to the Act.	(4) Local area (Yes/No).	(5) Location of the project.		(6) Amount spent for the project (in Rs.).	(7) Mode of implementation - Direct (Yes/No).	(8) Mode of implementation - Through implementing agency.	
				State	District			Name	CSR registration number
1.	NA	Swachh Bharat Kosh		-		8,05,000	Yes	-	-
	<b>Total</b>					<b>8,05,000</b>			

(डी) प्रशासनिक उपरिव्ययों में व्यय की गई राशि:- लागू नहीं

(ई) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो:- लागू नहीं

(एफ) वित्तीय वर्ष (7बी+7सी+7डी+7ई) के लिए व्यय की गई कुल राशि:- ₹8,05,000/-

(जी) समायोजन हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:-

Sl. No.	Particular	Amount (in Lacs)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	Rs. 10.83/-
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	Rs 8.05/-
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	-
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Not Applicable
(v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	-

8. (ए) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

(1) Sl. No.	(2) Preceding Financial Year	(3) Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in Rs.)	(4) Amount spent in the reporting Financial Year (in Rs)	(5) Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any.			(6) Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in Rs.)
				Name of the Fund	Amount (in Rs)	Date of transfer	
1.		-	-	-	-	-	-
	Total						

(बी) पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sl. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Project duration	Total amount allocated for the project (in Rs.)	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in Rs)	Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in Rs.)	Status of the project - Completed /Ongoing
1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total							

9. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में सीएसआर के माध्यम से सृजित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। (संपत्ति-वार विवरण)।

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) के सृजन या अधिग्रहण की तिथि:- लागू नहीं

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण पर खर्च की गई सीएसआर राशि:- लागू नहीं

(ग) उस संस्था, सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उसका पता आदि:- लागू नहीं

(घ) सृजित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्ति(ओं) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत परिसंपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित):- लागू नहीं

10. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएँ:-

वास्ते निदेशक मण्डल  
पिकी शर्मा  
अध्यक्षा  
डीआईएन 09312032

दिनांक - 29.08.2025  
स्थान - अलवर

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं के लिए

### वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

#### राय

हमने सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए बैलेंस शीट शामिल है, और लाभ और हानि का विवरण, वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप, जैसा कि संशोधित ("लेखा मानक") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के मामलों की स्थिति के अनुरूप है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसका लाभ और उसका नकदी प्रवाह।

#### राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी अनुभाग में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

#### वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

- अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद निदेशकों की रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।
- वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।
- वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या पाठ्यक्रम के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ असंगत है। लेखापरीक्षा का या अन्यथा भौतिक रूप से गलत विवरण दिया गया प्रतीत होता है।

• जब हम निदेशकों की रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें एसए 720 'अन्य जानकारी से संबंधित लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों' के तहत आवश्यक शासन के आरोप में मामले को संप्रेषित करने की आवश्यकता है।

### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो कि इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा मानकों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, वित्तीय स्थिति और कंपनी के रोकड़ प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चलने वाली चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार पर चलने वाली चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

### वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

• वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

• परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

• उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

• लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

• प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से विचार कर सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

अ) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

बी) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

सी) बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए कैश फ्लो स्टेटमेंट खाते की किताबों के अनुरूप हैं।

डी) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

ई) 31 मार्च, 2025 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया कि अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अनुसार कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2025 को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

एफ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

जी) अधिनियम की धारा 197(16) के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित है,

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निजी कंपनी होने के कारण, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 लागू नहीं होती है।

एच) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

- i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमेबाजी नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे।
- ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण नुकसान हुआ हो;
- iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- iv. (ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या अन्य में निवेश करेगा। कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

(बी) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामग्री है) प्राप्त नहीं किया गया है ("वित्त पोषण पार्टियों"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टियों ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या

संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

(सी) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रतिनिधित्व), जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया है जैसा की लागू होता है।

जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 30 में कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल सुविधा (एडिट लॉग) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है और इसे सॉफ्टवेयर में दर्ज किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए वर्ष भर संचालित किया गया है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश/सीएआरओ 2020") द्वारा अपेक्षित है, हम "अनुलग्नक बी" में एक विवरण देते हैं आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के भाग IV की धारा 378ZG की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक C" में उस अनुभाग में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।

केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

पंजीकरण संख्या 4730N

प्रमोद कुमार कपूर  
साथी

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 29.08.2025

सदस्यता संख्या 082424

(यूडीआईएन: 25082424BN11GRP3597)

## अनुलग्नक "ए" स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ किया है।

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

### लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

143(10) के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

## वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

## राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर।

केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
पंजीकरण संख्या 4730N  
प्रमोद कुमार कपूर  
साथी  
सदस्यता संख्या 082424

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 29.08.2025

(यूडीआईएन: 25082424BN11GRP3597)

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "बी"

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के अनुसार सामान्य लेखा परीक्षा के दौरान और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

(i) इसके संयंत्र, संपत्ति और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

- ए. (ए) कंपनी ने संयंत्र, संपत्ति और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (बी) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- बी. सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान संयंत्र, संपत्ति और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में, उचित अंतराल पर सभी संयंत्र, संपत्ति और उपकरणों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रदान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।
- सी. कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (i) (c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- डी. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- इ. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।
- (ii) ए. प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वर्ष के दौरान (माल-इन-ट्रांजिट) को छोड़कर सूची को भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके संचालन की प्रकृति को देखते हुए उपयुक्त है। माल-इन-ट्रांजिट के लिए, माल वर्ष के अंत के बाद प्राप्त हुआ है। प्रत्येक वर्ग के मालसूची के लिए कुल मिलाकर 10% या अधिक की कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं, जब खाते की किताबों की तुलना में, लागू होने वाली सूची / वैकल्पिक प्रक्रियाओं के ऐसे भौतिक सत्यापन पर ध्यान दिया गया।
- बी. कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान किसी भी समय, कुल मिलाकर ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश का खंड 3 (ii) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में

कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड (iii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- (iv) कंपनी ने दिए गए ऋण, किए गए निवेश और गारंटी और प्रदान की गई प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- (v) कंपनी ने जनता से कोई जमा या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है। इसलिए, आदेश के खंड (v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vi) कंपनी के व्यवसाय/गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, CARO 2016 के खंड (vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (vii) सांविधिक देय राशि के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:
- ए) कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। वर्ष के दौरान कंपनी के संचालन से सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए किसी भी दायित्व की उत्पत्ति नहीं हुई।
- बी) 31 मार्च, 2025 तक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जिस तारीख से वे छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं। देय हो गया।
- सी) उप-खंड (ए) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नहीं है, जिसे 31 मार्च, 2025 तक विवादों के कारण जमा नहीं किया गया है।
- (viii) वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट की गई पूर्व अघोषित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।
- (ix) ए. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधार की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।
- बी. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- सी. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी द्वारा लिए गए सावधि ऋण कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उन उद्देश्यों के लिए लागू किए गए थे जिनके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।
- डी. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।
- इ. वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई सहायक या सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए, आदेश के खंड (ix) (ई) और (एफ़) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (x) ए. कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक जमा या आगे सार्वजनिक जमा (ऋण लिखतों सहित) या सावधि ऋण के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड (x) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का प्रिफ़ेन्सिअल आवंटन या निजी प्लेसमेंट, पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किये है और इसलिए आदेश के खंड (x) (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) ए. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी और कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

बी. हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत एवं कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के पास निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

सी. जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया था, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पार्टि लेनदेन के विवरण के लिए लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरणों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां लागू हो।

(xiv) ए. हमारी राय में, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

बी. हमने वर्ष के दौरान कंपनी को जारी आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और 31 मार्च, 2025 तक की अवधि को कवर करते हुए, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xvi) (ए), (बी) और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xvii) कंपनी को हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। हालांकि, पिछले लेखा परीक्षकों ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया है और वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में फिर से नियुक्त होने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की है।

(xix) वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन

योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और हमारी जांच के आधार पर मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वे तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा छुट्टी दे दी जाएगी। कंपनी के रूप में और जब वे देय हो जाते हैं।

- (xx) कंपनी के पास तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध मूल्य नहीं था, या एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक का टर्नओवर या पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का शुद्ध लाभ नहीं था और इसलिए, अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड (xx) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट

पंजीकरण संख्या 4730N

प्रमोद कुमार कपूर  
साथी

सदस्यता संख्या 082424

(यूडीआईएन:25082424BN11GRP3597)

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 29.08.2025

## स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक ग

(हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

- i. माल और सेवाओं की बिक्री से देय ऋणों की राशि वित्तीय विवरणों के नोट 18 में प्रकट की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋण को वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में हाथ में नकदी का भौतिक सत्यापन किया गया है और इस तरह के सत्यापन में कोई विसंगति नहीं देखी गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूतियां नहीं हैं।
- iii. 31 मार्च, 2025 को संपत्ति और देनदारियों का विवरण कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए है।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

केएमजीएस एण्ड एसोसिएट्स के लिए  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 पंजीकरण संख्या 4730N  
 प्रमोद कुमार कपूर  
 साथी

स्थान: नई दिल्ली  
 दिनांक: 29.08.2025

सदस्यता संख्या 082424

(यूडीआईएन: 25082424BN11GRP3597)

## वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

### 1. कॉर्पोरेट जानकारी

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) का गठन 19 मार्च, 2016 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के भाग IX-A के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी (कॉर्पोरेट पहचान संख्या U01122RJ2016PTC049648) के रूप में प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से दूध की पूलिंग, खरीद, प्रसंस्करण और दुग्ध उत्पाद का व्यवसाय करने एवं सदस्यों के हित में दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रजनन, पशु-आहार, पशु चिकित्सा एवं इससे जुड़ी उनके लाभ में वृद्धि करने वाली अन्य तकनीकी और प्रबन्धकीय सेवायें प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य से किया गया था।

### 2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां इस प्रकार हैं:

#### ए लेखांकन का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएपी) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का पालन करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा गया है। और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम 2013") के प्रासंगिक प्रावधान जो लागू हों। एमसीए ने वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के तहत प्रोड्यूसर कंपनियों पर लागू अनुभागों को 'कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020' के तहत अधिसूचित किया है और साथ ही प्रोड्यूसर कंपनियों पर लागू होने वाले नियमों को "प्रोड्यूसर कंपनी नियम, 2021" के रूप में जाना जाता है। कंपनी के वित्तीय लेखांकन के उपार्जित आधार पर ऐतिहासिक लागतो के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

#### बी अनुमानों का उपयोग

भारतीय जीएपी के अनुसार सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधकों को संपत्तियों एवं दायित्वों (आकस्मिक दायित्वों सहित) तथा वर्ष के दौरान बताई गई आय व व्ययों की राशि के लिए लिए अनुमान एवं परिकल्पनाओं का प्रयोग करना होता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयोग किये विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं और इस प्रकार वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को उसी अवधि में चिन्हित किया जाता है जिसमें वे ज्ञात/कार्यान्वित होते हैं।

#### सी नकद और नकद समकक्ष (नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)

रोकड़ प्रवाह के प्रयोजन से रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंकों के पास मांग जमाये शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश जिन्हें कभी भी आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

#### डी नकदी प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, जिससे विशेष मदों से कर पूर्व लाभ / (हानि) गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों तथा कोई भी अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगित या उपार्जित रोकड़ प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर किया जाता है।

#### इ राजस्व मान्यता

खरीदारों को महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कारों के हस्तांतरण पर, रिटर्न और व्यापार छूट का शुद्ध, बिक्री को मान्यता दी जाती है, जो कि आम तौर पर ग्राहकों द्वारा माल की सुपुर्दगी एवं स्वीकृति के साथ मेल खाता है।

## एफ अन्य आय

जमाराशियों पर ब्याज की आय को उपार्जित आधार पर मान्यता दी जाती है।

## जी संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति

### सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों एवं अमूर्त संपत्तियों में से संचित मूल्य हास/परिशोधन तथा स्थायी क्षति अगर कोई हो तो उसे घटा कर पुस्तकों में दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों तथा अमूर्त संपत्तियों की लागत में उसके खरीद मूल्य में किसी भी व्यावसायिक बट्टे एवं छूट, अन्य कर (उन करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से प्राप्त किये जाने हैं), आवश्यक प्रयोजन के लिए संपत्ति को कार्यशील स्थिति में लाने हेतु होने वाले अन्य कोई भी प्रत्यक्ष व्यय एवं अन्य कोई भी आकस्मिक व्यय एवं इस संपत्ति की खरीद हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज व उस तिथी तक के संयंत्र एवं उपकरण जिस तारीख तक वह संपत्ति प्रायोजित प्रयोग के लिए तैयार हुई है, के समायोजन के पश्चात किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के बाद उस पर होने वाले व्ययों को केवल तभी पूंजीकृत किया जायेगा जब इस तरह के खर्च से ऐसी संपत्ति के भविष्य के लाभ में निर्धारित मानक निष्पादकता से भी अधिक वृद्धि होती है।

### अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्ति उनके अधिग्रहण की लागत में से संचित परिशोधन हानियों को घटा कर बताई गई है। एक अमूर्त संपत्ति को मान्यता दी जाती है, जहां यह संभावना है कि परिसंपत्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम में प्रवाहित होंगे और जहां इसकी लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। अमूर्त संपत्ति की मूल्यहास राशि को उसके उपयोगी जीवन के सर्वोत्तम अनुमान पर एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर आवंटित किया जाता है।

कंपनी सॉफ्टवेयर लागतों का पूंजीकरण करती है जहां यह उचित रूप से अनुमान लगाया जाता है कि सॉफ्टवेयर का स्थायी उपयोगी जीवन है। तीन साल के उपयोगी जीवन के प्रबंधन के अनुमान पर सॉफ्टवेयर का मूल्यहास किया गया है।

### एच कार्यशील पूंजी

संपत्ति जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें लागत पर ले जाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक खर्च और ब्याज शामिल हैं।

### आई मूल्यहास और परिशोधन

संपत्ति की प्रकृति, संपत्ति के अनुमानित उपयोग, संपत्ति की परिचालन स्थिति, पिछले इतिहास को ध्यान में रखते हुए, प्रतिस्थापन, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्मित वारंटी और रखरखाव समर्थन, तकनीकी सलाह के आधार पर मूल्यांकन की गई संपत्ति के उपयोगी जीवन के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर मूर्त संपत्ति पर मूल्यहास प्रदान किया गया है।

मूल्यहास चार्ज करने के लिए माना जाने वाला उपयोगी जीवन इस प्रकार है :

विवरण	उपयोगी जीवन वर्षों में
फर्नीचर व फिक्सचर	10 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	4 एवं 10 वर्ष
कंप्यूटर (सॉफ्टवेयर सहित)	3 वर्ष
ऑफिस उपकरण	5 वर्ष

इसके अलावा, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यहास परिसंपत्तियों के अनुमानित शेष उपयोगी जीवन के आधार पर किया गया है।

मूल्यहास का आंकलन खरीद की तिथि से आनुपातिक आधार पर किया गया है।

### जे इन्वेंटरी

इन्वेंटरी में कच्चे माल और पैकिंग सामग्री, तैयार माल, स्टोर और स्पेयर शामिल हैं। अप्रचलन और अन्य नुकसान, जहां आवश्यक समझा जाता है, प्रदान करने के बाद इन्वेंट्री का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट (फीफो) विधि का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए किए गए सभी शुल्क शामिल हैं। तैयार माल में उपरिव्यय का उचित अनुपात शामिल है।

### के अनुदान

सरकारी अनुदान और सब्सिडी को तब मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्यहास योग्य संपत्तियों पर प्रदान किये जाते हैं उसे आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, तथा उसे संपत्ति के उपयोगी अवधि के आधार पर सुनियोजित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, अर्थात् ऐसे अनुदानों से प्राप्त संपत्ति पर मूल्यहास को स्थगित अनुदान से समायोजित किया जाता है और मूल्य हास राशि को कम करते हुए लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है।

राजस्व सरकारी अनुदान और सब्सिडी को उन लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि में आय के रूप में पहचाना जाता है, जिसके लिए उन्हें व्यवस्थित आधार पर क्षतिपूर्ति करने का इरादा है और संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में कटौती की जाती है।

### एल कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति अवकाश शामिल है।

### ए निर्धारित योगदान योजनाएं

भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कंपनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के रूप में किए जाने वाले योगदान की राशि के आधार पर लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया जाता है।

### बी निर्धारित लाभ योजनाएं

ग्रेच्युटी को निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है। ग्रेच्युटी को बैलेंस शीट की तारीख में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया जाता है। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोतरी का बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

### सी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई हैं। ऐसे लाभों में कार्य प्रोत्साहन एवं अवकाश की प्रतिपूर्ति को शामिल किया जाता है, जो कि कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं देने की अवधि के समाप्त होने से बारह माह की अवधि में होने की संभावना है।

### डी दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

### एम प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डायल्युटेड आय की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जैसा कि सभी डायल्युटेड संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया गया है, सिवाय इसके कि जहां परिणाम एंटी-डायल्युटेड हैं।

### एन आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर लागू कर दरों से देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर गैर-शोषित-मूल्य हास एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर यह मानते हुए भविष्य में प्राप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर-शोषित-मूल्य हास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती है तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। आस्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

### ओ ऋण लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और सहायक लागत शामिल हैं। उधार लेने की लागतें जो सीधे तौर पर एक संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के कारण होती हैं, जो कि ऐसी संपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक संपत्ति के निर्माण / विकास से संबंधित गतिविधियों के शुरू होने से संबंधित अवधि से संबंधित होती है, को उस की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लागतों को उस वर्ष के लाभ-हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

### पी संपत्ति की अनुपस्थिति

प्रत्येक बेलेन्स शीट की तिथि को कम्पनी अपनी संपत्ति, प्लांट और उपकरण के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व-बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा।

संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ-हानि खातों में आय के रूप में माना जाता है।

### व्यू खंड की जानकारी

व्यवसाय खंड (प्राथमिक)

कंपनी प्रमुख स्रोत, जोखिम और रिटर्न की प्रकृति और आंतरिक संगठन और प्रबंधन संरचना के आधार पर प्राथमिक खंडों की पहचान करती है। कंपनी मुख्य रूप से दूध और दूध उत्पादों की खरीद और बिक्री में लगी हुई है। इसे एकल व्यवसाय खंड के रूप में माना गया है।

## आर प्रावधान और आकस्मिकताएं

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान (कर्मचारी लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। खातों की टिप्पणियों में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया गया है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

## एस लीज

पट्टे की व्यवस्था जहां जोखिम और पुरस्कार की घटना एक परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए काफी हद तक पट्टेदार के पास निहित होती है, को परिचालन पट्टों के रूप में मान्यता दी जाती है। ऑपरेटिंग लीज के तहत लीज रेंट को स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लाभ हानि खाते में पहचाना जाता है।

## टी संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में बसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह निर्धारित की है।

## सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को बैलेंस शीट

	नोट संख्या	31 मार्च, 2025 तक रुपये लाख में	31 मार्च, 2024 तक रुपये लाख में
<b>A. समता एवं दायित्व</b>			
<b>1. अंशधारको का कोष</b>			
(a) शेयर पूंजी	3	1,811.95	920.75
(b) संचित एवं अधिशेष	4	1,615.22	1,627.68
		<u>3,427.17</u>	<u>2,548.43</u>
<b>2. आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि</b>			
		46.90	27.39
<b>3. आस्थगित अनुदान</b>			
	5	957.36	516.24
<b>4. गैर चालू दायित्व</b>			
(a) दीर्घकालिक ऋण	6	552.75	486.75
(b) अन्य दीर्घकालिक दायित्व	7	1,228.99	353.58
(c) दीर्घकालिक प्रावधान	8	114.68	44.05
		<u>1,896.42</u>	<u>884.37</u>
<b>5. चालू दायित्व</b>			
(a) अल्प कालीन ऋण	9	-	4,428.15
(b) व्यापार देनदारियां	10		
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		30.14	35.03
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		3,420.68	2,199.22
(c) अन्य चालू दायित्व	11	699.87	1,096.45
(d) अल्पकालीन प्रावधान	12	2.12	88.32
		<u>4,152.81</u>	<u>7,847.16</u>
<b>कुल</b>		<b>10,480.65</b>	<b>11,823.60</b>
<b>B. संपत्ति</b>			
<b>1. गैर चालू संपत्तियां</b>			
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	13a	2,740.66	723.25
(ii) अमूर्त संपत्ति	13b	3.79	6.73
(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	13c	153.93	140.44
(iv) प्रगति अधीन अमूर्त संपत्ति	13d	86.03	
		<u>2984.41</u>	<u>870.42</u>
(b) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	14	45.32	8.72
(c) दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	15	268.01	24.92
(d) अन्य गैर चालू संपत्तियां	16	5.86	0.41
		<u>3303.59</u>	<u>904.47</u>
<b>2. चालू संपत्तियां</b>			
(a) स्टॉक	17	794.66	554.98
(b) व्यापारिक प्राप्तियां	18	2,874.15	6,102.57
(c) नकद और बैंक शेष	19		
नकद और नकद तुल्य		3,438.12	4,111.85
(d) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	20	54.54	41.42
(e) अन्य चालू संपत्तियां	21	15.59	108.31
		<u>7,177.06</u>	<u>10,919.13</u>
<b>कुल</b>		<b>10,480.65</b>	<b>11,823.60</b>

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें  
उक्त तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में  
केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए  
चार्टर्ड अकाउंटेंट  
(फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)

प्रमोद कुमार कपूर  
पार्टनर  
सदस्यता सं. 082424

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 29.08.2025

पिंकी शर्मा  
अध्यक्ष  
निदेशक पहचान सं.: 09312032

स्थान: अलवर  
दिनांक: 29.08.2025

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ललिता शर्मा  
निदेशक  
निदेशक पहचान सं.: 09678803

सौरभ जैन  
कंपनी सचिव  
सदस्यता सं. 45759

रचना देवधर गोयल  
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी  
निदेशक पहचान सं.: 08892551

धीरज जैन  
वित्त प्रबंधक

## सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि का विवरण

	नोट संख्या	31 मार्च, 2025 को	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
		रूपये लाख में	
1. संचालन से राजस्व	22	70,086.96	42,665.29
2. अन्य आय	23	282.49	191.22
<b>3. कुल आय (1+2)</b>		<b>70,369.45</b>	<b>42,856.51</b>
<b>4. खर्च</b>		-	-
(a) व्यापारिक वस्तुओं की खरीद	24	65,823.28	39,592.87
(b) तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंटरी में परिवर्तन	25	(251.95)	15.73
(c) कर्मचारी लाभ व्यय	26	1,147.88	486.84
(d) वित्तीय लागत	27	68.79	301.51
(e) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	13	274.87	37.40
(f) अन्य खर्चे	28	3,228.38	1,526.55
<b>कुल खर्चे</b>		<b>70,291.24</b>	<b>41,960.90</b>
<b>5. कर पूर्व लाभ (3-4)</b>		78.21	895.61
<b>6. कर व्यय:</b>			
(a) वर्तमान कर		66.14	240.50
(b) Minimum alternate tax (MAT) credit			
(b) आस्थगित कर प्रभार/(क्रेडिट)		(36.60)	(2.85)
(c) पूर्व के वर्षों से संबंधित प्रावधान		(12.53)	(0.32)
शुद्ध कर व्यय		17.01	237.33
<b>7. वर्ष के लिए लाभ (5-6)</b>		<b>61.20</b>	<b>658.28</b>
<b>8. प्रति इक्विटी शेयर आय:</b>	34		
(नोमिनल मूल्य रु. 100 प्रति शेयर)			
(a) मूल		5.29	81.31
(b) डायल्युटेड		5.29	81.30

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें

उक्त तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)

पिंकी शर्मा

अध्यक्षा

निदेशक पहचान सं.: 09312032

ललिता शर्मा

निदेशक

निदेशक पहचान सं.: 09678803

रचना देवधर गोयल

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

निदेशक पहचान सं.: 08892551

प्रमोद कुमार कपूर

पार्टनर

सदस्यता सं. 082424

सौरभ जैन

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. 45759

धीरज जैन

वित्त प्रबंधक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 29.08.2025

स्थान: अलवर

दिनांक: 29.08.2025

# सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष रुपये लाख में	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष रुपये लाख में
<b>A. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:</b>		
कर पूर्व लाभ	78.21	895.61
<b>समायोजन के लिए:</b>		
वित्त लागत - उधार पर ब्याज व्यय	59.40	300.85
ब्याज आय	(186.24)	(138.51)
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	274.87	37.40
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली/बिक्री पर लाभ	(6.77)	(1.88)
<b>कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ</b>	<b>219.48</b>	<b>1,093.48</b>
कार्यशील पूंजी में आवाजाही के लिए समायोजन:		
स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	(239.68)	7.43
व्यापार प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)	3,228.42	(828.56)
अन्य गैर-चाहू संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	(5.45)	-
दीर्घावधि ऋणों और अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	-	-
अत्यावधि ऋणों और अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(13.13)	6.07
अन्य चाहू संपत्तियों में कमी/(वृद्धि)	17.13	(17.16)
दीर्घकालिक देनदारियों में कमी/(वृद्धि)	875.41	68.64
व्यापार देय में कमी/(वृद्धि)	1,216.56	222.06
प्रावधानों में कमी/(वृद्धि)	71.58	15.16
अन्य चाहू दायित्वों में कमी/(वृद्धि)	(320.83)	784.17
संचालन एवं प्रयुक्त से अर्जित रोकड़	<b>5,049.49</b>	<b>1,351.29</b>
शुद्ध आय कर (भुगतान)/वापसी	(201.16)	(175.45)
<b>प्रयुक्त परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (₹)</b>	<b>4,848.33</b>	<b>1,175.85</b>
<b>B. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>		
बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) नकद और नकद समकक्ष के रूप में नहीं माना जाता है	1,176.24	(1,980.43)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर पूंजीगत व्यय (शुद्ध प्राप्त अनुदान)	(2,172.04)	(140.67)
प्राप्त ब्याज	261.83	135.50
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वसूली/बिक्री से प्राप्त आय	7.35	2.17
<b>प्रयुक्त निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (बी)</b>	<b>(726.62)</b>	<b>(1,983.43)</b>
<b>C. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:</b>		
शेयर पूंजी जारी करने से आय	863.80	103.41
प्राप्त अंश आवेदन राशि	46.90	27.39
कार्यशील पूंजी उधार में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(4,428.15)	546.32
दीर्घकालीन ऋण से प्राप्ति	66.00	486.75
लिमिटेड रिटर्न / लाभशु भुगतान	(73.66)	(64.12)
Finance costs paid	(94.10)	(282.19)
<b>प्रयुक्त वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (सी)</b>	<b>(3619.21)</b>	<b>817.55</b>
<b>नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (₹+बी+सी)</b>	<b>502.50</b>	<b>9.97</b>
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	58.05	48.08
<b>वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष</b>	<b>560.55</b>	<b>58.05</b>
<b>नकद और नकद समकक्ष के घटक निम्नानुसार हैं:</b>		
बैंकों के साथ शेष राशि:		
चाहू खातों में	501.08	14.31
बचत खातों में	59.47	43.51
ओवर ड्राफ्ट खातों में	-	0.22
कैश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	<b>560.55</b>	<b>58.04</b>
जोड़े: बैंक बैलेंस को नकद और नकद समकक्ष नहीं माना जाता है	2,877.57	4,053.80
बैलेंस शीट के अनुसार नकद और बैंक बैलेंस (नोट 19)	<b>3,438.12</b>	<b>4,111.85</b>

वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें  
उक्त तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

**केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए**

चार्टर्ड अकाउंटेंट  
(फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)

**प्रमोद कुमार कपूर**  
पार्टनर  
सदस्यता सं. 082424

**पिंकी शर्मा**  
अध्यक्ष  
निदेशक पहचान सं.: 09312032

**ललिता शर्मा**  
निदेशक  
निदेशक पहचान सं.: 09678803

**रचना देवधर गोयल**  
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी  
निदेशक पहचान सं.: 08892551

**सौरभ जैन**  
कंपनी सचिव  
सदस्यता सं. 45759

**धीरज जैन**  
वित्त प्रबंधक

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 29.08.2025

स्थान: अलवर  
दिनांक: 29.08.2025

नोट 3: शेयर पूंजी

	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	अंशों की संख्या	रुपये लाख में	अंशों की संख्या	रुपये लाख में
(a) अधिकृत अंश पूंजी समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	<b>25,00,000</b>	<b>2,500.00</b>	<b>13,00,000</b>	<b>1,300.00</b>
(b) जारी, अधिदान और पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी समता अंश 100 रुपये प्रत्येक	<b>18,119,49</b>	<b>1811.95</b>	<b>9,20,754</b>	<b>920.75</b>

नीचे (i) से (iv) तक के नोट देखें

नोट्स:

(i) शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

"कंपनी ने केवल एक वर्ग के 100 रुपये के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर जारी किए हैं। प्रत्येक सदस्य एक वोट का हकदार है। सदस्य कंपनी के अंतर्निर्णयों के अनुच्छेद के अनुसार सीमित रिटर्न (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।

कंपनी के परिसमापन की दशा में, समता अंशधारकों को अधिकार होगा कि वे संपूर्ण अधिमानी राशियों के वितरण के बाद शेष संपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ii) वर्ष की शुरुआत और अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समाधान:

	31 मार्च, 2025 तक		31 मार्च, 2024 तक	
	अंशों की संख्या	रुपये लाख में	अंशों की संख्या	रुपये लाख में
साल की शुरुआत में बकाया शेयर	9,20,754	920.75	8,01,486	801.49
वर्ष के दौरान जारी अंश (निरस्त और पुनः जारी किये गये अंशों के समाधान के बाद)	8,911,95	891.20	1,19,268	119.27
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	<b>18,119,49</b>	<b>1811.95</b>	<b>9,20,754</b>	<b>920.75</b>

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत (अब कंपनी अधिनियम, 2013 का अध्याय XXI-A) के तहत 'प्रोड्यूसर कंपनी' के रूप में पंजीकृत है और किसी भी सदस्या के पास कंपनी की शेयर पूंजी का 5% या अधिक नहीं है।

(iv) वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के 5 वर्षों के दौरान नकद/बैंक या बोनस के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।

(vii) प्रमोटर्स की शेयरधारिता का विवरण:

क्र.सं.	प्रमोटर्स का नाम	1 अप्रैल, 2024 को शेयरों की संख्या	वर्ष के दौरान परिवर्तन	31 मार्च 2025 को शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1	पिंकी शर्मा	90	-	90	0.00%	-
2	रेखा कुमारी	16	-	16	0.00%	-
3	बाबिता	99	-	99	0.01%	-
4	सुमन देवी शोशिया	183	-	183	0.01%	-
5	सविता कुमारी	164	-	164	0.01%	-
6	पूनम कुमारी	305	-	305	0.02%	-
7	दया शर्मा	90	-	90	0.00%	-
8	ललिता शर्मा	33	-	33	0.00%	-
9	गायत्री सिहाग	68	-	68	0.00%	-
10	सरोज देवी	75	-	75	0.00%	-
11	सुमन कुमारी पदमपुरा	683	-	683	0.04%	-

	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
<b>नोट 4: रिजर्व और अधिशेष</b>		
<b>(a) सामान्य रिजर्व</b>		
प्रारंभिक शेष	1,554.02	969.40
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरित	-	584.62
अंतिम शेष	1,554.02	1,554.02
<b>(b) लाभ और हानि विवरण में अधिशेष</b>		
प्रारंभिक शेष	73.66	64.12
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	61.20	658.28
घटाएँ:		
31 मार्च, 2023 समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को अंतिम सीमित रिटर्न (लाभांश) (₹.8/- प्रति शेयर)	-	64.12
31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष के लिए सदस्यों को अंतिम सीमित रिटर्न (लाभांश) (₹.8/- प्रति शेयर)	73.66	-
Tax on above limited return (dividend)	-	-
जनरल रिजर्व में स्थानांतरित	-	584.62
अंतिम शेष	61.20	73.66
	<b>1,615.22</b>	<b>1,627.68</b>
<b>नोट 5: आस्थगित अनुदान</b>		
प्रारंभिक शेष	516.24	481.74
जोड़ें: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (नोट 34 देखें)	584.14	142.19
घटाएँ: पूंजीगत अनुदान से अर्जित संपत्ति से संबंधित मूल्यहास (नोट 13 देखें)	143.02	107.39
घटाएँ: संपत्तियों की बिक्री/निपटान का प्रभाव	-	0.30
अंतिम शेष	<b>957.36</b>	<b>516.24</b>
<b>नोट 6: दीर्घकालिक देनदारियां</b>		
(ए) एनडीडीबी से सुरक्षित ऋण	552.75	486.75
<b>नोट:</b>	<b>552.75</b>	<b>486.75</b>
(i) एनडीडीबी से ₹.736.44 लाख का ऋण 11.07.2023 को स्वीकृत किये गये। रुपये 202.12 लाख रूपये की पहली किस्त दिनांक 11.01.2024 को एवं 14.03.2024 को 284.62 लाख रूपये की दूसरी किस्त प्राप्त हुई। ऋण को चल संपत्तियों (वर्तमान और भविष्य दोनों) के बंधक के माध्यम से सुरक्षित किया गया है और इस पर प्रति वर्ष 1.5% या एनडीडीबी द्वारा बताई गई दर पर ब्याज लगता है। पहली रिलीज की तारीख से मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 साल की अधिस्थगन अवधि के साथ ऋण 10 वर्षों में चुकाया जाना है। पुनर्भुगतान मासिक आधार पर होगा।		
<b>नोट 7: अन्य दीर्घकालिक देनदारियां</b>		
(ए) सहायक एवं अन्य से प्राप्त व्यापारिक सुरक्षा जमा	1,228.99	353.58
	<b>1,228.99</b>	<b>353.58</b>
<b>नोट 8: दीर्घकालीन प्रावधान</b>		
(ए) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान (ग्रेच्युटी फंड का शुद्ध रु. 37.71 लाख; पिछले वर्ष रु. 35.03 लाख)	10.10	-
(i) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए प्रावधान	104.58	44.05
	<b>114.68</b>	<b>44.05</b>

नोट 9: अल्पकालीन ऋण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
	रुपये लाख में	रुपये लाख में
बैंकों से:		
(a) असुरक्षित ऋण		
(i) बिल छूट की सुविधा	-	4,428.15
	<u>-</u>	<u>4,428.15</u>

नोट 10: व्यापार देय	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
(a) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट 39 देखें)	30.14	35.03
(b) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	3,420.68	2,199.22
	<u>3,450.81</u>	<u>2,234.25</u>

नोट: (i) \* प्रबन्धन के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत उनकी स्थिति के बारे में प्राप्त जानकारी के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता (एमएसएमईडी अधिनियम) में पंजीकृत नहीं है इसलिए कंपनी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोई भी राशि देय नहीं है। यह लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

(ii) व्यापार देय एंजिंग की अनुसूची:

(रुपये लाख में)

भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:								
क्रम सं.	विवरण	अन विल्ट्ड ड्यूज	एक साल से कम	एक से दो साल	एक से दो साल	दो से तीन साल	तीन साल से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई							
	31 मार्च 2025 को	-	30.14	-	-	-	-	30.14
	31 मार्च 2024 को	-	35.03	-	-	-	-	35.03
(ii)	अन्य							
	31 मार्च 2025 को	-	3,420.68	-	-	-	-	3,420.68
	31 मार्च 2024 को	-	2,199.22	-	-	-	-	2,199.22
(iii)	विवादित बकाया - एमएसएमई							
	31 मार्च 2025 को	-	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2024 को	-	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित बकाया - अन्य							
	31 मार्च 2025 को	-	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च 2024 को	-	-	-	-	-	-	-

नोट 11: अन्य चाहू देनदारियां

(a) सदस्याओं द्वारा शेयरों के समर्पण के बदले देय*	11.08	8.88
(b) ब्याज उपार्जित लेकिन ऋण पर देय नहीं	-	34.70
(c) सांविधिक प्रेषण (पीएफ और ईएसआईसी में योगदान, स्रोत पर कर कटौती आदि)	55.91	44.24
(d) ग्राहकों से अग्रिम	29.22	9.71
(e) कर्मचारियों को देय	161.74	55.94
(f) संपत्ति, संवर्धन और उपकरण की खरीद पर देय**	32.93	73.96
(g) एडीडीबी को चुकाने योग्य (अप्रयुक्त अनुदान)	131.73	713.55
(h) धानी को चुकाने योग्य (अप्रयुक्त अनुदान)	114.97	155.46
(i) Grant from NABARD	-	-
(i) मोबियस फाउंडेशन से प्राप्त अनुदान	162.30	-
	<u>699.87</u>	<u>1,096.45</u>

नोट: \* कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZD के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के कुछ सदस्याओं को अपने इक्विटी शेयरों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है क्योंकि ऐसी सदस्या अंतर्नियमों के अनुसार कंपनी की सदस्या होने के लिए निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने में विफल रही है। तदनुसार 11080 शेयर (पिछले साल 8877 शेयर) को कंपनी को 100/- रुपये के सममूल्य पर आत्मसमर्पित कर दिया गया है और इन शेयरों को अन्य पात्र सक्रिय सदस्याओं को सममूल्य पर फिर से जारी किया गया है।

\*\* इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से संबंधित 1.49 लाख रुपये (पिछले वर्ष 26.63 लाख रुपये) की राशि शामिल है।

नोट 12: अल्पकालीन प्रावधान

(ए) आयकर के लिए प्रावधान (कर भुगतान का शुद्ध)	-	87.14
(बी) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए प्रावधान	2.12	1.17
	<u>2.12</u>	<u>88.32</u>



नोट 13: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

विवरण	सकल ब्लॉक			संचित मूल्यहास/परिसोधन				शुद्ध ब्लॉक		
	01 अप्रैल 2024 को	वृद्धि	कटौती	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 को	साल के लिए	संपत्ति के निपटारन पर हटा दिया गया	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	
(a) संपत्ति, संयंत्र उपकरण (स्वामित्व वाली)										
संयंत्र और उपकरण (पिछले वर्ष)	1,287.47 (1,156.74)	2,318.51 (132.61)	5.49 (1.74)	3,600.48 (1,287.60)	592.14 (464.07)	399.35 (129.58)	4.96 (1.44)	986.54 (592.21)	2,613.94 (695.39)	695.39 (692.66)
फर्नीचर व फिक्सचर (Previous year)	38.27 (38.06)	72.65 (0.11)	- (-)	110.92 (38.27)	15.98 (11.79)	4.65 (4.19)	- (-)	20.63 (15.98)	90.29 (22.29)	22.29 (26.28)
Office equipment (पिछले वर्ष)	14.82 (14.29)	11.10 (0.41)	0.13 (-)	25.80 (14.70)	11.30 (8.86)	2.49 (2.40)	0.06 (-)	13.73 (11.27)	12.07 (3.43)	3.43 (5.43)
कम्यूटर्स (पिछले वर्ष)	45.21 (44.29)	29.96 (0.92)	- (-)	75.17 (45.21)	43.07 (38.14)	7.74 (4.93)	- (-)	50.81 (43.07)	24.36 (2.14)	2.14 (6.15)
<b>योग (अ)</b>	<b>1,385.77</b>	<b>2,432.22</b>	<b>5.62</b>	<b>3,812.37</b>	<b>662.50</b>	<b>414.23</b>	<b>5.02</b>	<b>1,071.71</b>	<b>2,740.66</b>	<b>723.25</b>
Previous year	(1,253.38)	(134.14)	(1.74)	(1,385.78)	(522.87)	(141.10)	(1.44)	(662.53)	(723.25)	
(b) अमूर्त संपत्तियां (स्वयं उत्पादों के अलावा)										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (पिछले वर्ष)	23.81 (20.28)	0.72 (3.53)	- (-)	24.53 (23.81)	17.08 (13.39)	3.67 (3.69)	- (-)	20.75 (17.08)	3.79 (6.73)	6.73 (6.89)
<b>योग (ब)</b>	<b>23.81</b>	<b>0.72</b>	<b>-</b>	<b>24.53</b>	<b>17.08</b>	<b>3.67</b>	<b>-</b>	<b>20.75</b>	<b>3.79</b>	<b>6.73</b>
(पिछले वर्ष)	(20.28)	(3.53)	(-)	(23.81)	(13.39)	(3.69)	(-)	(17.08)	(6.73)	

नोट्स

(i) मूल्यांकन एवं परिसोधन व्यय

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
रुपये लाख में		
मूल संपत्तियां	414.23	141.10
अमूर्त संपत्तियां	3.67	3.69
घटाए - अनुदान पर अर्जित संपत्ति से संबंधित मूल्यांकन	143.02	107.39
	<b>274.87</b>	<b>37.40</b>

(ii) पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई और उपरोक्त अनुसूची में शामिल संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है (टिप्पणी 34 देखें):

संपत्ति	सकल ब्लॉक			संचित मूल्यहास/परिसोधन				शुद्ध ब्लॉक		
	01 अप्रैल 2024 को	वृद्धि	कटौती	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 को	साल के लिए	संपत्ति के निपटारन पर हटा दिया गया	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	
<b>Tangible assets :</b>										
संयंत्र और उपकरण (पिछले वर्ष)	940.15 (884.51)	509.79 (57.39)	- (1.74)	1,449.94 (940.16)	532.43 (436.21)	135.56 (97.68)	- (1.44)	667.99 (532.45)	781.95 (407.71)	407.71 (448.29)
ऑफिस उपकरण (पिछले वर्ष)	12.11 (12.11)	0.30 (-)	- (-)	12.41 (12.11)	10.09 (8.09)	1.23 (1.99)	- (-)	11.32 (10.08)	1.09 (2.03)	2.03 (4.03)
फर्नीचर व फिक्सचर (पिछले वर्ष)	37.35 (37.35)	61.84 (-)	- (-)	99.19 (37.35)	15.62 (11.57)	4.19 (4.05)	- (-)	19.81 (15.62)	79.38 (21.73)	21.73 (25.77)
कम्यूटर्स (पिछले वर्ष)	32.94 (32.12)	17.74 (0.83)	- (-)	50.68 (32.94)	32.13 (29.57)	2.04 (2.56)	- (-)	34.17 (32.13)	16.51 (0.81)	0.81 (2.55)
<b>अमूर्त संपत्तियां</b>										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (पिछले वर्ष)	10.04 (10.04)	- (-)	- (-)	10.04 (10.04)	10.04 (8.93)	- (1.10)	- (-)	10.04 (10.04)	- (0.00)	(0.00) (1.10)
<b>कुल</b>	<b>1,032.59</b>	<b>589.67</b>	<b>-</b>	<b>1,622.26</b>	<b>600.31</b>	<b>143.02</b>	<b>-</b>	<b>743.33</b>	<b>878.93</b>	<b>432.28</b>
(पिछले वर्ष)	(976.12)	(58.22)	(1.74)	(1,032.60)	(494.37)	(107.39)	(1.44)	(600.32)	(432.28)	(481.74)

(iii) कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस

(रुपये लाख में)

विवरण	निम्न अवधि के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगति की राशि				कुल
	एक साल से कम	एक से दो साल	दो से तीन साल	तीन साल से अधिक	
परियोजनाएं वर्क इन प्रोग्रेस (पिछले वर्ष)	153.93 (140.44)	- (-)	- (-)	- (-)	153.93 (140.44)
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित (पिछले वर्ष)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>कुल CWIP</b>	<b>153.93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>153.93</b>
(पिछले वर्ष)	(140.44)	(-)	(-)	(-)	(140.44)

(iv) प्रगति अधीन अमूर्त संपत्तियां:-

(रुपये लाख में)

विवरण	निम्न अवधि के लिए पूंजीगत कार्य-प्रगति की राशि				कुल
	एक साल से कम	एक से दो साल	दो से तीन साल	तीन साल से अधिक	
परियोजनाएं वर्क इन प्रोग्रेस (पिछले वर्ष)	86.03	-	-	-	86.03
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित (पिछले वर्ष)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
<b>कुल CWIP</b>	<b>86.03</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86.03</b>
(पिछले वर्ष)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

	31 मार्च, 2025 तक लाख रूपये में	31 मार्च, 2024 तक लाख रूपये में
<b>नोट 14: आस्थगित कर संपत्तियां/(दायित्व) (शुद्ध)</b>		
(i) आस्थगित कर दायित्वों को बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
(a) संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति के बुक बैलेंस और टैक्स बैलेंस के बीच अंतर पर	(9.27)	5.77
(ii) आस्थगित कर संपत्ति बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव:		
(a) मुआवजे की अनुपस्थिति और ग्रेच्युटी का प्रावधान	29.40	11.38
(b) On disallowances u/s 43B of IT Act,1961	6.65	3.11
<b>शुद्ध आस्थगित कर संपत्तियां/(दायित्व)</b>	<b>45.32</b>	<b>8.72</b>

**नोट 15: दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम**  
(असुरक्षित, उचित माने गए)

(a) आयकर भुगतान (शुद्ध प्रावधान)	85.32	24.92
(b) पूंजीगत अग्रिम	182.69	-
	<b>268.01</b>	<b>24.92</b>

**नोट 16: अन्य गैर-वाल्यू संपत्तियां**

(a) सुरक्षा जमा	5.56	0.41
(b) सरकारी अधिकरणों के साथ जमा	0.30	-
	<b>5.86</b>	<b>0.41</b>

**नोट 17: इन्वेंटरी**

(कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर)

(a) बिक्री के लिए माल	454.05	326.28
(b) स्टॉक-इन-ट्रेड (इन ट्रांजिट)	340.60	216.42
(c) उपभोग्य	-	12.28
	<b>794.66</b>	<b>554.98</b>

**नोट 18: व्यापार प्राप्तियां**

(असुरक्षित, उचित माने गए)

(a) भुगतान के लिए देय तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया - सुरक्षित, उचित माना गया	17.74	6.60
(b) अन्य	2,856.41	6,095.97
	<b>2,874.15</b>	<b>6,102.57</b>

(ii) व्यापार प्राप्य एजिंग की अनुसूची:

(लाख रूपये में)

क्रम सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:					कुल
		छ: माह से कम	छ: माह से एक साल	एक से दो साल	दो से तीन साल	तीन साल से अधिक	
<b>(i)</b>	<b>निर्विवाद व्यापार प्राप्य - कंसीडर गुड्स</b>						
	31 मार्च, 2025 को	2,856.41	12.24	4.01	1.49	-	<b>2,874.15</b>
	31 मार्च, 2024 को	6,095.97	3.44	3.17	-	-	<b>6,102.57</b>
<b>(ii)</b>	<b>निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध</b>						
	31 मार्च, 2025 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2024 को	-	-	-	-	-	-
<b>(iii)</b>	<b>विवादित व्यापार प्राप्य - कंसीडर गुड्स</b>						
	31 मार्च, 2025 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2024 को	-	-	-	-	-	-
<b>(iv)</b>	<b>विवादित व्यापार प्राप्य -संदिग्ध</b>						
	31 मार्च, 2025 को	-	-	-	-	-	-
	31 मार्च, 2024 को	-	-	-	-	-	-

	31 मार्च, 2025 तक लाख रूपये में	31 मार्च, 2024 तक लाख रूपये में
<b>नोट 19: नकद और बैंक शेष</b>		
<b>(a) नकद और नकदी के समतुल्य</b>		
(i) बैंकों के साथ शेष राशि:		
अ चालू खातों में	501.08	14.31
बी बचत खातों में	59.47	43.51
सी ओवरड्राफ्ट खातों में	-	0.22
नकद प्रवाह विवरण के एएस 3 के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	<b>560.55</b>	<b>58.04</b>
<b>(b) अन्य बैंक बैलेंस</b>		
(i) जमा खातों में (मूल परिपक्वता 3 महीने से अधिक)	2,705.56	2,888.40
(ii) इअरमार्कड खातों में :		
- जीका अनुदान खाता	38.21	744.99
- जीका लोन खाता	0.04	419.95
- जीका लोन खाता	133.75	0.46
	<b>3,438.12</b>	<b>4,111.85</b>

**नोट :**

- (i) बैंकों के पास शेष राशि में रुपये 1,268.53 लाख (पिछले वर्ष 677.34 लाख रुपये) की जमा राशि शामिल है। जिनकी बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने से अधिक की परिपक्वता है।

	31 मार्च, 2025 तक लाख रूपये में	31 मार्च, 2024 तक लाख रूपये में
<b>नोट 20: अल्पकालीन ऋण और अग्रिम</b> (असुरक्षित, उचित माने गए)		
(ए) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	-	0.25
(बी) ग्रेज्युटी फंड (नेट दायित्व NIL; पिछले वर्ष 31.47 लाख)	-	3.55
(सी) विक्रेताओं को अग्रिम	25.67	4.99
(डी) प्रीपेड खर्च	27.44	17.68
(इ) सहायक प्रोत्साहन वसूली योग्य	-	11.56
(एफ) सरकारी अधिकरणों के साथ बकाया	1.44	3.38
	<b>54.54</b>	<b>41.42</b>

**नोट 21: अन्य चालू संपत्ति**

(असुरक्षित, उचित माने गए)

(अ) ब्याज अर्जित लेकिन बैंक जमा पर देय नहीं	15.56	91.16
(बी) अन्य प्राप्तियां	0.03	17.16
	<b>15.59</b>	<b>108.31</b>

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष लाख रूपये में	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष लाख रूपये में
<b>नोट 22: संचालन से राजस्व</b>		
(a) उत्पादों की बिक्री		
(i) सकल बिक्री	70,711.77	43,565.40
(ii) घटाए: पुनर्खरीद के लिए तीसरे पक्ष (दूध प्रोसेसर) को बिक्री (नीचे नोट (i) देखें)	624.81	900.11
(iii) शुद्ध बिक्री	<b>70,086.96</b>	<b>42,665.29</b>

**नोटस:**

- (i) यह दूध और दूध उत्पादों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग के लिए तीसरे पक्ष को की गई बिक्री का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे ग्राहकों को बिक्री के लिए उनसे फिर से खरीदा जाता है।

**उत्पादों की बिक्री में शामिल हैं:**

(i) व्यापारित माल		
ए कच्चा दूध	66,005.48	40,955.59
बी घी	1,003.76	698.54
सी पशु आहार एवं अन्य	2,643.86	947.64
डी रसगुल्ला और गुलाबजामुन	132.34	63.51
ई एसएस केन	83.22	-
एफ़ पोलीपेक दूध एवं दूध उत्पाद	218.31	-
<b>कुल</b>	<b>70,086.96</b>	<b>42,665.29</b>

**नोट 23: अन्य आय**

(a) व्याज की आय		
(i) बैंको के साथ जमा पर	186.24	138.51
(b) अन्य गैर-परिचालन आय		
(i) सदस्यता शुल्क	22.17	4.70
(ii) दंड आय	33.62	20.78
(iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	6.77	1.88
(iv) विविध आय	33.69	25.35
	<b>282.49</b>	<b>191.22</b>

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष लाख रूपये में	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष लाख रूपये में
<b>नोट 24: व्यापारिक वस्तुओं की खरीद</b>		
(ए) कच्चा दूध	58,085.69	35,958.10
(बी) घी	854.93	502.03
(सी) पशु आहार एवं अन्य	2,423.03	853.87
(डी) रसगुल्ला और गुलाबजामुन	85.07	73.66
(इ) एसएस केन	109.59	-
(एफ़) पोलीपेक दूध एवं दूध उत्पाद	235.22	-
(जी) परिचालन व्यय (नीचे नोट देखें)	4,029.74	2,205.21
	<b>65,823.28</b>	<b>39,592.87</b>
<b>परिचालन व्यय में शामिल हैं:</b>		
(ए) भाड़ा आवक शुल्क	1,751.11	841.90
(बी) सहायक को प्रोत्साहन	1,089.18	626.21
(सी) दूध ठंडा करने का शुल्क	868.83	421.09
(डी) सदस्यों को प्रोत्साहन	308.02	308.44
(इ) अन्य परिचालन व्यय	12.60	7.57
	<b>4,029.74</b>	<b>2,205.21</b>
<b>नोट 25: तैयार माल और स्टॉक-इन-ट्रेड की इन्वेंटरी में परिवर्तन</b>		
<b>तैयार माल की इन्वेंटरी में कमी/(वृद्धि) और बिक्री के लिए माल</b>		
(अ) वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी		
स्टॉक-इन-ट्रेड	326.28	412.82
स्टॉक-इन-ट्रांजिट	216.42	145.62
	<b>542.70</b>	<b>558.44</b>
(बी) वर्ष के अंत में इन्वेंटरी		
स्टॉक-इन-ट्रेड	454.05	326.28
स्टॉक-इन-ट्रांजिट	340.60	216.42
	<b>794.66</b>	<b>542.70</b>
<b>इन्वेंटरी में शुद्ध कमी/(वृद्धि)</b>	<b>(251.95)</b>	<b>15.73</b>
<b>नोट 26: कर्मचारी लाभ व्यय</b>		
(ए) वेतन और मजदूरी	1,009.75	436.69
(बी) भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	108.07	34.70
(सी) कर्मचारी कल्याण खर्च	30.06	15.45
	<b>1,147.88</b>	<b>486.84</b>

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष लाख रूपये में	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष लाख रूपये में
<b>नोट 27: वित्त लागत</b>		
(अ) ऋण पर ब्याज व्यय	59.40	300.85
(बी) सांविधिक देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज	9.39	0.66
	<b>68.79</b>	<b>301.51</b>

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष लाख रूपये में	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष लाख रूपये में
<b>नोट 28: अन्य खर्च</b>		
(अ) स्टोर और पुर्जों की खपत	189.53	41.80
(बी) शक्ति और ईंधन	2.88	1.85
(सी) किराया	140.49	11.93
(डी) छपाई और लेखन सामग्री	39.07	12.61
(इ) मरम्मत और रखरखाव - मशीनरी	141.95	94.47
(एफ) मरम्मत और रखरखाव - अन्य	19.61	5.79
(जी) विज्ञापन और व्यापार प्रचार	57.06	22.21
(एच) माल ढुलाई, अग्रेषण और वितरण खर्च	2,065.33	1,104.93
(आई) बीमा शुल्क	32.05	16.14
(जे) कानूनी और पेशेवर शुल्क	91.10	22.31
(के) लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे नोट (i) देखें)	3.01	2.50
(एल) यात्रा और परिवहन	114.16	49.04
(एम) वाहन किराए पर लेने का खर्च	77.71	24.30
(एन) प्रशिक्षण खर्च	20.50	2.94
(ओ) उत्पादकता वृद्धि सेवाओं (पीईएस) से संबंधित व्यय	22.80	25.89
(पी) खरीद अवसरचना को सुदृढ़ करने से संबंधित व्यय (आईबीपी)	11.83	
(क्यू) संचार खर्च	88.64	30.50
(आर) दरें और कर	13.54	7.56
(एस) बैठक और अभिविन्यास खर्च	46.31	26.33
(टी) विविध व्यय	42.76	23.46
(यू) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)	8.05	-
	<b>3,228.38</b>	<b>1,526.55</b>

**नोट:****(i) लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं:**

(अ) सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	2.15	1.78
(बी) टैक्स ऑडिट शुल्क	0.40	0.34
(सी) उपर्युक्त पर कर	0.46	0.38
	<b>3.01</b>	<b>2.50</b>

**(ii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि 10.83 लाख रुपये थी (पिछले वर्ष यह शून्य थी)।

	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष लाख रूपये में	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष लाख रूपये में
1 वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	10.83	-
2 वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि:		
(i) किसी भी परिसंपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	-	-
(ii) उपरोक्त के अलावा अन्य उद्देश्य से	8.05	-
3 अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि	2.78	-
4 वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि	-	-
5 आगामी वित्तीय वर्षों के लिए सेट ऑफ उपलब्ध है	-	-

## 6 सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री केन्द्रीय सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित एवं पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को राहत एवं कल्याण प्रदान करने वाले सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में योगदान।

**31 मार्च, 2025 तक**  
लाख रूपये में

**31 मार्च, 2024 तक**  
लाख रूपये में

**नोट 29: आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं**

**अ आकस्मिक दायित्व**

**(अ) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया**

31 मार्च, 2025 तक कोई बकाया आकस्मिक दायित्व नहीं है

**(बी) प्रतिबद्धताओं**

पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और प्रदान नहीं की गई (भुगतान किए गए अग्रिमों का नेट शून्य)

**नोट 30**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के संबंध में, निदेशकों ने अपनी बैठक दिनांक 29 अगस्त 2025 में रुपये 126.84 लाख (7 रुपये प्रति शेयर) का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इकिटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे वित्तीय विवरणों में दायित्व के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित इकिटी लाभांश पूरी तरह से भुगतान किए गए इकिटी शेयरों के सभी धारकों को देय है।

**नोट 31**

कंपनी को इकिटी शेयरों के लिए 46.90 लाख रुपये की अंश आवेदन राशि प्राप्त हुई है। जिसके खिलाफ 20 मई, 2025 को हुई बोर्ड की बैठक में आवंटन किया गया है।

**नोट 32: कर्मचारी लाभ योजनाएँ:**

**परिभाषित योगदान योजना**

कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजना प्रदान करती है। भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (RPFCA) के पास जमा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत निर्दिष्ट दर पर योगदान का भुगतान करते हैं।

कंपनी ने लाभ-हानि विवरण में रु. 25.85 लाख (पिछले वर्ष रु.13.34 लाख) भविष्य निधि और पेंशन निधि अंशदान के लिए रिकगनाइज किये हैं।

**परिभाषित लाभ योजना**

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित-लाभ योजनाओं की पेशकश करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारी के मुआवजे (सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले) पर आधारित हैं। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल हैं। ग्रेच्युटी योजना के मामले में, कंपनी एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा प्रशासित ट्रस्ट और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित फंड में योगदान करती है। प्रतिबद्धताओं को वर्ष के अंत में बीमांकिक रूप से निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन "प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट" पद्धति के आधार पर किया जाता है। परिवर्तित बीमांकिक मान्यताओं के लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में प्रभाषित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिकाएँ ग्रेच्युटी और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की वित्त पोषित स्थिति निर्धारित करती हैं।

**(i) परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन**

	<b>31 मार्च, 2025</b>	<b>31 मार्च, 2024</b>
	लाख रूपये में	लाख रूपये में
वर्ष की शुरुआत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	31.47	22.51
व्याज लागत	2.12	1.60
चाहू सेवा लागत	17.54	7.66
भुगतान किया गया लाभ	(8.55)	(1.76)
बीमांकिक दायित्व पर (लाभ)/ हानि	5.22	1.46
वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	<b>47.81</b>	<b>31.47</b>

**(ii) योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य**

	<b>31 मार्च, 2025</b>	<b>31 मार्च, 2024</b>
	लाख रूपये में	लाख रूपये में
वर्ष की शुरुआत में योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य	35.03	24.90
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	2.36	2.06
योगदान	-	8.18
भुगतान किया गया लाभ	-	-
योजनागत संपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.32	(0.11)
वर्ष के अंत में योजनागत संपत्तियों का उचित मूल्य	<b>37.71</b>	<b>35.03</b>

**(iii) योजना संपत्तियों पर प्रतिफल**

	<b>31 मार्च, 2025</b>	<b>31 मार्च, 2024</b>
	लाख रूपये में	लाख रूपये में
योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	2.36	2.06
बीमांकिक लाभ/(हानि)	0.32	(0.11)
योजना संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	<b>2.68</b>	<b>1.95</b>

**(iv) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि**

परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य  
योजना संपत्ति का उचित मूल्य  
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)

<b>31 मार्च, 2025</b>	<b>31 मार्च, 2024</b>
लाख रूपये में	लाख रूपये में
47.81	31.47
37.71	35.03
<b>10.10</b>	<b>(3.55)</b>

**(v) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**

चाटू सेवा लागत  
व्याज लागत  
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि  
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

<b>31 मार्च, 2025</b>	<b>31 मार्च, 2024</b>
लाख रूपये में	लाख रूपये में
17.54	7.66
2.12	1.60
(2.36)	(2.06)
4.90	1.57
<b>22.20</b>	<b>8.77</b>

**(vi) बैलेंस शीट रिक्सिलेसन**

वर्ष की शुरुआत में शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)  
उपयुक्त के रूप में खर्च  
योगदान / लाभ का भुगतान  
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)

<b>31 मार्च, 2025</b>	<b>31 मार्च, 2024</b>
लाख रूपये में	लाख रूपये में
(3.55)	(2.38)
22.20	8.77
(8.55)	(9.94)
<b>10.10</b>	<b>(3.55)</b>

कंपनी की नियोजित संपत्ति का प्रबंधन ट्रस्ट और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा अपनी ग्रेच्युटी योजना के संबंध में कंपनी के दायित्वों को निधि देने के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में किया जाता है। समूह ग्रेच्युटी फंड के लिए अपने निवेश पैटर्न के संबंध में योजना परिसंपत्तियों की श्रेणियों के बारे में जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है।

परिभाषित लाभ प्रतिबद्धताओं और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक गणना निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित होती है, जो यदि परिवर्तित हो जाती है, तो परिभाषित लाभ प्रतिबद्धता के आकार, वित्त पोषण आवश्यकताओं और व्यय को प्रभावित करेगी।

**(vii) प्रमुख बीमांकिक धारणाएं**

	<b>31 मार्च, 2025</b>	<b>31 मार्च, 2024</b>
छूट की दर	6.75%	7.10%
अपेक्षित वेतन वृद्धि	7.00% p.a.	7.00% p.a.
आर्कषक मूल्य:		
30 वर्ष से कम आयु 31-44 वर्ष	3%	3%
आयु 44 और उससे अधिक	2%	2%
मृत्यु दर तालिका का इस्तेमाल किया	1%	1%
	IAL (2012-14) ultimate	IAL (2012-14) ultimate

योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर कई लागू कारकों जैसे कि योजनागत संपत्तियों की संरचना, निवेश रणनीति, बाजार परिदृश्य आदि पर विचार करने के बाद निर्धारित की जाती है।

छूट की दर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है, जैसा कि दायित्व की अनुमानित अवधि के लिए बैलेंस शीट की तारीख में है।

भविष्य में वेतन वृद्धि का अनुमान मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन वृद्धि और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखता है।

**(viii) क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति के लिए बीमांकिक अनुमान**

मुआवजे की असंबद्ध अनुपस्थिति के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली बीमांकिक धारणाएं उपरोक्त vii के समान हैं।

**(ix) अनुभव समायोजन**

	<b>31.03.2025</b>	<b>31.03.2024</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2021</b>
	लाख रूपये में				
परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	47.81	31.47	22.51	16.64	11.55
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	37.71	35.03	24.90	19.81	6.64
वित्त पोषण की स्थिति	10.10	(3.55)	(2.38)	(3.17)	4.91
दायित्वों पर लाभ/(हानि)	(5.22)	(1.46)	0.06	(0.50)	(0.84)
योजना संपत्ति पर लाभ/(हानि)	0.32	(0.11)	(0.15)	(0.32)	-

**नोट 33: पट्टे की व्यवस्था**

कंपनी ने कार्यालय परिसर एवम् परिचालन क्षेत्र के लिए प्लाट एवं मशीनरी के लिए पट्टे की व्यवस्था की है। कंपनी ने लाभ और हानि के विवरण में 140.49 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 11.93 लाख) के पट्टे के किराये के खर्च को मान्यता दी है।

**नोट 34: प्रति इकिटी शेयर आय**

विवरण	इकाई	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
कर के बाद शुद्ध लाभ	Rupees in lakhs	61.20	658.28
बकाया इकिटी शेयरों की भारत औसत संख्या			
वर्ष के दौरान	Numbers in lakhs	11.57	8.10
प्रति इकिटी शेयरों का नोमिनल वेल्यु	Rupees	100	100
प्रति शेयर मूल आय	Rupees	5.29	81.31
प्रति शेयर डायल्युटेड आय की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इकिटी शेयर	Numbers in lakhs	11.58	8.10
डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर	Rupees	5.29	81.30

**नोट 35: भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम" के घटक बी के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) से प्राप्त/प्राप्य अनुदान का विवरण - "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" और डेयरी स्वास्थ्य और पोषण पहल भारत से फाउंडेशन (DHANII) और मोबियस फाउंडेशन से बायोगैस प्रोजेक्ट और इसका उपयोग इस प्रकार है - लेखांकन नीति संख्या**

**2(K) देखें:**

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
(अ) प्रारंभिक शेष	869.01	-
(b) वर्ष के दौरान प्राप्त	390.47	1,043.64
	1,259.48	1,043.64
(सी) वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		
(i) पूंजीगत संपत्ति के लिए:		
- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए (CWIP को शामिल करते हुए)	584.14	142.19
(i) राजस्व व्यय के लिए*	266.34	32.44
कुल उपयोग (i) + (ii)	850.48	174.63
(डी) अग्रोषित शेष राशि (ए+बी-सी)	409.01	869.01

**नोट:**

पूंजीगत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग किए गए राजस्व अनुदान को संबंधित व्यय के साथ घटा दिया गया है।



नोट 36: अनुपात

क्रम सं.	अनुपात	मीटर	भागक	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	% बदलाव	25% से अधिक चिन्ताओं के लिए स्पष्टीकरण
1	चातु अनुपात (समय में)	चातु संपत्ति	चातु दायित्व	1.73	1.39	24.20%	पह अंतर पिछले वर्ष की तुलना में चातु वर्ष में अत्यधिक उधारी (बिल डिस्काउंटिंग) शून्य होने के कारण है, तथापि, व्यापार प्राप्य में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है।
2	ऋण-समता अनुपात (समय में)	कुल ऋण (नैर चातु और चातु)	शेयरधारक की इक्विटी (कुल इक्विटी)	0.16	1.93	-91.64%	पह अंतर चातु वर्ष में शून्य अत्यधिक उधारी (बिल डिस्काउंटिंग) के कारण है, जबकि पिछले वर्ष यह 4428.15 लाख रुपये था।
3	"ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)"	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय = कर के बाद शुद्ध लाभ + मूल्यांकन और परिशोधन व्यय + व्याज + गैर-नकद परिवर्तन व्यय + अन्य गैर-नकद समावयोजन	ऋण सेवा = व्याज + चुकाया गया मूलधन	0.09	0.24	-62.81%	इस चिन्ता का कारण चातु वर्ष के लिए कर-पश्चात लाभ में 91% की कमी होना है, तथा बिल डिस्काउंटिंग बुनिया में घट के कारण ब्याज सहित ऋण में भी कमी आई है।
4	इक्विटी अनुपात पर लाभ (% में)	कर के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	2.05	30.04	-93.18%	इस अंतर का कारण चातु वर्ष के कर-पश्चात लाभ में 91% की कमी है, जिसका कारण अत्यधिक लागत में वृद्धि है। योगदान मार्जिन में भी कमी के 0.80% की कमी आई है।
5	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात (समय में)	स्टॉक-इन-स्ट्रेड की खरीद + इन्वेंट्री में परिवर्तन	औसत इन्वेंट्री	97.17	70.90	37.06%	पह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में खरीद में 66% की वृद्धि के कारण हुई है, हालांकि औसत इन्वेंट्री में केवल 21% की वृद्धि हुई है।
6	व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (समय में)	शुद्ध उधार बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	15.62	7.50	108.19%	पह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में 64% की वृद्धि के कारण हुई है, तथापि औसत व्यापार प्राप्य में 21% की कमी आई है।
7	"व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)"	शुद्ध उधार खरीद	औसत व्यापार देय	23.43	18.80	24.58%	आवश्यक नहीं
8	"शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)"	संचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी = चातु संपत्ति - चातु दायित्व	23.17	13.89	66.86%	इस अंतर का कारण पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन से राजस्व में 64% की वृद्धि होना है, तथापि, इसी अवधि में कार्यशील पूंजी लगभग समान ही रही है।
9	शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल आय	0.09	1.54	-94.34%	इस अंतर का कारण चातु वर्ष के कर-पश्चात लाभ में 91% की कमी है, जिसका कारण अत्यधिक लागत में वृद्धि है। योगदान मार्जिन में भी बिक्री के 0.80% की कमी आई है।
10	निवेशित पूंजी पर रिटर्न (में %)	व्याज और कर से पहले कमाई	निवेशित पूंजी = शुद्ध नैटवर्थ मूल्य + कुल ऋण + आरंभित कर दायित्व	4.29	17.18	-75.00%	इस अंतर का कारण चातु वर्ष के कर-पश्चात लाभ में 91% की कमी है, जिसका कारण अत्यधिक लागत में वृद्धि है। योगदान मार्जिन में भी बिक्री के 0.80% की कमी आई है।
11	निवेश पर वापसी (% में)	निवेश से उत्पन्न आय	समय भरित औसत निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं

क्रम सं.	अनुपात	मीटर	भागक	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	% बदलाव	25% से अधिक चिन्ताओं के लिए स्पष्टीकरण
----------	--------	------	------	-------------------------------------	-------------------------------------	---------	--

नोट 37: अन्य वैधानिक जानकारियाँ

- 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के पास कोई अवल संपत्ति नहीं है।
- कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अरिज नहीं दिया है, जो मांग पर या बिना सुरक्षा जा सकते हैं।
- कंपनी के पास कोई बेगानी संपत्ति नहीं थी और बेगानी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेगानी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तपुत्र डिफॉल्टर्स पर दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) या उसके संघ द्वारा वित्तपुत्र डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया था।
- कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं था।
- कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी मुद्रा या अभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- कंपनी ने विदेशी संहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से) संस्थाओं ("मध्यस्थ"), इस समझ में, चार्ज लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।
- कंपनी के पास कोई शुल्क नहीं थी जो अभी तक सार्वजनिक अवधि के बाद आरंभ की गई या पंजीकृत नहीं थी।
- कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई भी फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर सामूहिक) प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ में, चार्ज लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी को, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या फंडिंग पार्टी ("अल्टीमेट बेंचमार्किंग") की ओर से किसी भी तरह से उधार या निवेश करे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।

नोट 38: लेखा मानक (एएस) 18 - "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

ए. संबंधित पक्षों का नाम और संबंधों की प्रकृति

रिश्ते की प्रकृति	इकाई का नाम
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:	धर्मेन्द्र कुमार (पहले 18 मई 2024 तक फिर उसके बाद पुनः 18 मई 2024 से 31 मार्च, 2025 तक) रचना देवपार गोयल (1 अप्रैल 2025 से)

बी. उपरोक्त संबंधित पार्टियों के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन की प्रकृति और मात्रा इस प्रकार है:

विवरण	(Rupees)	
	केएमपी	योग
<b>प्रबंधकीय पारिश्रमिक</b>		
धर्मेन्द्र कुमार (18 मई 2024 तक)	15.60 (26.07)	15.60 (26.07)

काष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों दर्शाते हैं

**Note 39:**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण:

विवरण	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष
(i) लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन राशि	75.69	61.66
(ii) उस पर देय ब्याज लेखा वर्ष के अंत तक किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया है	-	-
(iii) नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
(iv) वर्ष के लिए देय और देय ब्याज की राशि	-	-
(v) लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-
(vi) आगे के वर्ष में भी देय और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब तक कि उपरोक्त के रूप में ब्याज देय वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है	-	-

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि का निर्धारण उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है। यह लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया है।

**नोट 40:**

कंपनी दूध और पशुओं के चारे के व्यापार में लगी हुई है, जिसे एकल व्यवसाय खंड माना जाता है। कंपनी भारत में एकल भौगोलिक खंड में काम करती है। खंड रिपोर्टिंग पर लेखा मानक एएस-17 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी एक व्यवसाय और भौगोलिक खंड में काम करती है।

**नोट 41:**

'कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी संपत्तियों और देनदारियों को चालू या गैर-चालू के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति, इसके संचालन और वसूली के आधार पर, कंपनी ने अपने परिचालन चक्र 12 महीने से कम का पता लगाया है। तदनुसार संपत्तियों और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए 12 महीने की अवधि पर विचार किया गया है।

**नोट 42:**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

**निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**

**केएमजीएस एंड एसोसिएट्स के लिए**

चार्टर्ड अकाउंटेंट

(फर्म पंजीकरण संख्या 4730N)

**प्रमोद कुमार कपूर**

पार्टनर

सदस्यता सं. 082424

**पिकी शर्मा**

अध्यक्षा

निदेशक पहचान सं.: 09312032

**ललिता शर्मा**

निदेशक

निदेशक पहचान सं.: 09678803

**रचना देवधर गोयल**

निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

निदेशक पहचान सं.: 08892551

**सौरभ जैन**

कंपनी सचिव

सदस्यता सं. 45759

**धीरज जैन**

वित्त प्रबंधक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 29.08.2025

स्थान: अलवर

दिनांक: 29.08.2025

## सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय : प्लाट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

### सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्याओं की दसवीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन दिनांक 27 सितम्बर 2025 को दोपहर 01:15 बजे प्रताप ऑडिटोरियम, स्कीम न .8, अलवर, राजस्थान-301001 पर निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए दी जाती है :

1. 31 मार्च 2025 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया गया कि 31 मार्च 2025 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त अवधि के लिए लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों का एक हिस्सा और कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ, हो और एतद्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।"

2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न) लाभांश (पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना- :

संकल्प लिया गया कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए प्राक्कलित मुनाफे से 7 रूपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 100 रूपये प्रति इक्विटी शेयर के 1811949 इक्विटी शेयरों पर लाभांश पूरी तरह से भुगतान और अवशोषित 1,26,83,643 राशि इसके द्वारा अनुमोदित है और पुष्टि की जाती है तथा इस राशि का भुगतान उन सदस्याओं को किया जाएगा जिनका नाम 31 मार्च 2025 को सदस्याओं के रजिस्टर में उल्लिखित है।

3. श्रीमती पिकी शर्मा (डीआईएन 09312032) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती सावित्री यादव (डीआईएन 11270236) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती पिंकी शर्मा (डीआईएन 09312032) (क्लास- बी का प्रतिनिधित्व) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए पेश नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सावित्री यादव (डीआईएन 11270236) (वर्ग-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति द्वारा भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

**4. श्रीमती बबीता (डीआईएन 09678588) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।**

"संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के साथ पठित धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, श्रीमती बबिता (डीआईएन 09678588) (वर्ग-बी का प्रतिनिधित्व) निदेशक, आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और पात्र होने के नाते स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करती हैं, जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।"

**5. श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और अपात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।**

" संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के अनुसार, धारा 152 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के साथ, यदि कोई हो, श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) निदेशक, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं, और अयोग्य होने के कारण खुद को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामी रिक्ति आगामी वार्षिक आम बैठक में योग्य उम्मीदवार नही होने के कारण भरी नहीं जा सकती है।"

**6. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।

"संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय **XXI-A** के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा **378H, 378ZQ, 378ZR** और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियमो एवं बहिर्नियमो के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 250000000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) 2500000 इक्किटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) से 300000000/- (तीस करोड़ रुपये) 30,00,000 (तीस लाख (इक्किटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) के अतिरिक्त 500000 (पांच लाख) रु.100/- (रुपये एक सौ प्रत्येक) के इक्किटी शेयरों के सृजन द्वारा बढ़ाई जाती है।

"आगे यह संकल्प लिया गया है कि, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को इसके मौजूदा क्लॉज **VI** को निम्नलिखित नए क्लॉज **VI** से प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

"छठी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 300000000 रुपये है। (तीस करोड़ रुपये जो कि 100/- रुपये के (एक सौ रुपये) 3000000 (तीस लाख) इक्किटी शेयरों में विभाजित है।"

आगे संकल्प किया गया है कि, इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी इस तरह के सभी कदम उठाने के लिए और इस तरह के सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत हैं।

7. एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली बहुराज्यीय सहकारी संस्था की शेयर पूंजी पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना।

"संकल्प लिया गया कि कंपनी के अंतर्नियमो और बहिर्नियमो के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय **XXIA** के प्रावधानों, और अधिनियम के किसी अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों, अन्य लागू कानूनों/वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो) इसमें वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित (के अनुसार, कंपनी के सदस्यों को बहु-राज्य सहकारी समिति के शेयरों को सामान्य आरक्षित निधि के 30 प्रतिशत की सीमा तक अभिदान करने और एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए अनुमोदन दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी संकल्प लिया गया कि कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी को इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्यवाही शुरू करने और दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए एतद्वारा अलग-अलग अधिकृत किया जाता है।”

8. निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' के संशोधन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना।

“संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग XXI-A के लागू प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 378-I, धारा 14, और उसके अंतर्गत बनाए गए अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और नियमों के अनुसरण में, और इस संबंध में पहले पारित किसी भी संकल्प के स्थान पर, कंपनी के शेयरधारकों की सहमति से 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' को संशोधित करने की अनुमति दी जाती है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

i सखी महिला दुग्ध उत्पादक कंपनी लिमिटेड”) कंपनी (“का बोर्ड वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर एक” नामांकन समिति) “एनसी (का गठन करेगा, जो बोर्ड को 'कंपनी के बोर्ड में रिक्त उत्पादक-सदस्य निदेशक पद के लिए संभावित उम्मीदवार' का सुझाव देगी।

ii बोर्ड में उत्पादक निदेशकों) वर्ग ए या वर्ग बी या वर्ग सी श्रेणी के अंतर्गत (की रिक्ति की घोषणा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। नामांकन समिति द्वारा विचार के लिए पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने की सूचना) जितनी संख्या में पदों को भरने के लिए ( बोर्ड में रिक्त पदों की संख्या (कंपनी के नोटिस बोर्ड पर और/या कंपनी की वेबसाइट पर, यदि कोई हो, और/या साधारण डाक द्वारा परिपत्र भेजकर और/या कंपनी के साथ पंजीकृत अपने ईमेल आईडी पर और/या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/मोड के माध्यम से संबंधित वर्ग के सभी पात्र सदस्यों को भेजकर, जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न होती है, सूचना दी जाएगी।

iii बोर्ड एक प्रक्रिया तैयार करेगा जिसका पालन 'नामांकन समिति' द्वारा अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट संभावित सदस्यों की पहचान के लिए किया जाएगा।

iv 'नामांकन समिति' पात्र आवेदक के लिए प्रत्येक पैरामीटर के विरुद्ध दिए जाने वाले 'आवेदक के पात्रता अंक' को दर्शाने वाली निम्नलिखित तालिका पर विचार करेगी:

आवेदक के पात्रता स्कोर के लिए पैरामीटर	अधिकतम स्कोर
पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी को आपूर्ति किये गये दूध के दिनों की संख्या का अंकन निम्नानुसार होगा: (95% or more days - 30 ; 85% to <95% days - 20 ; 75% to <85% - 15 ; 65% to <75% - 10 ; 55% to <65% - 5 ; <55% - 0)	30
अवधि के दौरान कंपनी को संपूर्ण अधिशेष की आपूर्ति करना (अर्थात किसी अन्य खिलाड़ी/प्रतिस्पर्धी/ऑपरेटर को दूध की आपूर्ति नहीं की गई है) - स्व-घोषणा और कंपनी द्वारा बाद में सत्यापन के आधार पर।	5
पिछले 5 वर्षों से सदस्य वर्ग (ए, बी, सी) में से किसी एक को बनाए रखना @ प्रत्येक वर्ष के लिए 6 अंक	30
महिलाओं के लिए 12वीं पास के लिए 5 अंक, स्नातक के लिए 10 अंक, स्नातकोत्तर के लिए 15 अंक	15
प्रशिक्षण में भाग लिया -(सदस्य प्रशिक्षण) 5 अंक (वीसीजी/एमआरजी प्रशिक्षण) 5 अंक (एलडीपी) नेतृत्व विकास कार्यक्रम/ (निदेशक मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम) 10 अंक	20
<b>कुल</b>	<b>100</b>

v बोर्ड द्वारा गठित नामांकन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे-:

i उस सदस्यता वर्ग से बोर्ड का एक उत्पादक-सदस्य निदेशक जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि ऐसा उत्पादक सदस्य निदेशक आगामी वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त न हो। यदि एक से अधिक उत्पादक-सदस्य अर्हता प्राप्त करते हैं, तो आपस में किसी समझौते के अभाव में, लॉटरी के माध्यम से एक एनसी सदस्य की पहचान की जाएगी। साथ ही, यदि उस वर्ग से कोई उत्पादक-सदस्य निदेशक उपलब्ध नहीं है, तो सभी उपस्थित निदेशकों की आपसी सहमति से या लॉटरी के माध्यम से किसी अन्य उत्पादक-सदस्य निदेशक की पहचान की जाएगी;

ii एक विशेषज्ञ निदेशक जो कंपनी के बोर्ड में हो; और

iii किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या किसी संस्था से एक विशेषज्ञ, जिसने उत्पादक स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।

कंपनी का कंपनी सचिव 'नामांकन समिति' की सहायता करेगा और नामांकन समिति की बैठक के कार्यवृत्त सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

vi 'नामांकन समिति' का कार्यकाल समिति की पहली बैठक की तारीख से लेकर कंपनी के बोर्ड को अपनी सिफारिश भेजने की तारीख तक होगा।

vii बोर्ड ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान के लिए 'नामांकन समिति' द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

**इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि** इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कदम उठाने और ऐसे सभी कार्य, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक और समीचीन समझे और इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा करे।

#### **9. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।**

"संकल्प किया गया कि 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

**निदेशक मंडल के आदेश से**

**स्थान:** अलवर

रचना देवधर गोयल

**दिनांक:** 29.08.2025

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

## टिप्पणियाँ

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्या एक प्रॉक्सी को हाथ दिखाने के साथ-साथ और एक प्रॉक्सी सदस्या के मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए नियुक्त करने का हकदार है। गैर-सदस्या को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त करने वाला लिखत विधिवत पूर्ण, मुहरबंद और हस्ताक्षरित होना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए। प्रॉक्सी फॉर्म यहां संलग्न है।
2. सदस्याओं/प्रॉक्सी से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत भरी हुई उपस्थिति पर्ची साथ लाएं।
3. संलग्न नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में शनिवार और रविवार को छोड़कर, सामान्य व्यावसायिक घंटों (10.00 बजे से 17.00 बजे) के दौरान सभी कार्य दिवसों में सदस्याओं द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।
4. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति एजीएम में लाएं क्योंकि कंपनी एजीएम के स्थान पर कोई प्रति उपलब्ध नहीं कराएगी।
5. कंपनी के खातों या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी सदस्या से अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को प्रश्न अग्रेषित करें।
6. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और अपने सदस्या कोड का उल्लेख करें।
7. सदस्याओं से अनुरोध है कि वे अपने पते और बैंक खाते के विवरण में किसी भी परिवर्तन की सूचना तुरंत कंपनी को दें।
8. एजीएम स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, तेज उपकरण आदि प्रतिबंधित हैं।
9. बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के तहत आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

10. वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए आसान स्थान के लिए प्रमुख लेंडमार्क के साथ एक रूट मैप वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न है।

आगामी आम सभा में नियुक्त/ पुनः नियुक्त होने वाले निदेशकों का विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (4) (c) एवं आम सभा पर सचिवीय मानको के अनुरूप)

आइटम संख्या 3, 4

बोर्ड ने नामांकन समीति की अनुशंषा पर श्रीमती सावित्री यादव एवं श्रीमती बबिता को कंपनी के निदेशक नियुक्त/पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है। जिनका विवरण निम्न अनुसार है :-

नाम	श्रीमती सावित्री यादव	श्रीमती बबिता
उम्र	23	29
शैक्षणिक योग्यता	सीनियर सेकेंडरी	स्नातक
व्यवसाय	पशुपालन और डेयरी	पशुपालन और डेयरी
अनुभव	पशुपालन का सात वर्षों का अनुभव	पशुपालन का दस वर्षों का अनुभव
नियुक्ति की नियम एवं शर्तें	गैर कार्यकारी निदेशक चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त	गैर कार्यकारी निदेशक चक्रीय क्रम से सेवानिवृत्त
पारिश्रमिक का भुगतान करने की मांग और अंतिम आहरित पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
बोर्ड में पहली नियुक्ति की स्थिति	दसवीं आम सभा में नियुक्ति का प्रस्ताव	19.07.2022
गत वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों के भाग लेने की संख्या	शून्य	9
धारित अंशों की संख्या	154	99
अन्य निदेशकों एवं के एम पी के साथ सम्बन्ध	कोई सम्बन्ध नहीं	कोई सम्बन्ध नहीं
बोर्ड की समीति की सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य	शून्य

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: अलवर

रचना देवधर गोयल

दिनांक: 29.08.2025

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

## व्याख्यात्मक कथन

### सूचना की मद संख्या 6 से सम्बंधित

कंपनी की वर्तमान अधिकृत पूंजी रु. 25,00,000,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) है, और इसकी जारी, सदस्यता और चुकता शेयर पूंजी रु. 18.12 करोड़ (अठारह करोड़ बारह लाख रुपये) है। अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में अपने विकास और विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को अपनी चुकता शेयर पूंजी को 30 करोड़ (तीस करोड़ रुपये) तक विस्तारित करने की आवश्यकता होगी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर 30 करोड़ (तीस करोड़ रुपये) करने का प्रस्ताव है। और उस प्रयोजन के लिए, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज को भी उपयुक्त रूप से बदलने की आवश्यकता होगी। जैसा कि साथ में नोटिस के मद संख्या 6 में संकल्प में निर्धारित किया गया है।

लागू वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, जैसा कि संकल्प के निकाय में बताया गया है, कंपनी को अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए और कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में बदलाव के लिए सदस्याओं की मंजूरी लेने की आवश्यकता है।

निदेशक मंडल सदस्याओं के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं लेते हैं या संबंधित नहीं हैं।

## व्याख्यात्मक कथन

### सूचना की मद संख्या 7 से सम्बंधित

एनडीडीबी, एनडीडीबी डेयरी सेवाओं (एनडीएस) के माध्यम से एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित या भविष्य में प्रवर्तित किए जाने वाले दुग्ध उत्पादक संगठनों की एक शीर्ष बहु-राज्य सहकारी समिति के गठन में सहायता कर रही है। उक्त शीर्ष सहकारी समिति बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत होगी। इस समिति का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण और विपणन में सहायता प्रदान करके, डेयरी क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों का विस्तार करके, और सरकारी निकायों के साथ सहयोग तथा सहकारी सिद्धांतों के पालन के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करके अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। चूंकि सखी एमपीओ के उद्देश्य और गतिविधियाँ इस शीर्ष सहकारी समिति के व्यापक लक्ष्यों और दृष्टिकोण के अनुरूप हैं, विशेष रूप से सहकारी और पारस्परिक सहायता सिद्धांतों को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और भारत में डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में। इसलिए, यह प्रस्तावित है कि सखी एमपीओ, सामान्य आरक्षित निधि के 30% तक की सीमा तक बहु-राज्य सहकारी समिति के शेयरों की सदस्यता लेकर उक्त शीर्ष सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है और एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति का बन सकता है।

निदेशक मंडल सदस्याओं के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 7 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं लेते है या संबंधित नहीं हैं।

### **व्याख्यात्मक कथन**

#### **सूचना की मद संख्या 8 से सम्बंधित**

कंपनी की "नामांकन समिति" के मौजूदा दिशानिर्देशों में "नामांकन समिति" के प्रावधानों को समझने और उनके क्रियान्वयन में बेहतर स्पष्टता लाने के लिए कुछ बदलाव आवश्यक हैं।

कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 9.6; 9.18 ii.k.; और 11.11 vii के अनुसार, जो अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड में सदस्यों के वर्ग के प्रतिनिधित्व, निदेशकों के चुनाव, निदेशकों के पद के लिए सिफारिश आदि से संबंधित हैं, बोर्ड द्वारा एक "नामांकन समिति" (एनसी) का गठन आवश्यक है।

इसके अलावा, कंपनी के एसोसिएशन के अनुच्छेद 11.11 की आवश्यकता के अनुसार, "नामांकन समिति" के गठन के दिशानिर्देशों के लिए कंपनी के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में पारित एक साधारण प्रस्ताव द्वारा सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

बोर्ड द्वारा "नामांकन समिति" (एनसी) के गठन, एनसी के गठन के लिए दिशानिर्देशों के अनुमोदन और निदेशक पद के नामांकन के लिए मानदंड तैयार करने हेतु सदस्यों का अनुमोदन।

इसलिए, यह आवश्यक और उचित है कि निदेशक पद के लिए पात्रता मानदंड सहित "नामांकन समिति" के गठन के लिए उपयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए जाएं, जैसा कि नामांकन समिति के साधारण प्रस्ताव के मसौदे में विस्तृत है और आने वाले समय के लिए बोर्ड को पात्र सदस्यों की सिफारिश की जाए।

निदेशक मंडल सदस्याओं के अनुमोदन के लिए संलग्न नोटिस के मद संख्या 8 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करता है।

कंपनी का कोई भी निदेशक/अधिकारी या उनके रिश्तेदार, कंपनी के सदस्य के अलावा, किसी भी तरह से इस संकल्प में रुचि नहीं लेते है या संबंधित नहीं हैं।

### सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का नौवीं वार्षिक आम सभा का कार्यवृत्त

सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की सदस्यों की नौवीं वार्षिक आम बैठक का कार्यवृत्त जो कि मंगलवार, दिनांक 24 सितंबर, 2024 को दोपहर 01:15 बजे, प्रताप ओडिटोरियम, स्कीम न. 8, अलवर, राजस्थान-301001 पर दोपहर 1:15 बजे शुरू हुई और दोपहर 2:15 बजे समाप्त हुई।

उपस्थित:

1.	श्रीमती पिकी शर्मा	:	अध्यक्षा एवं अंशधारक
2.	श्रीमती ललिता	:	निदेशक एवं अंशधारक
3.	श्रीमती बबिता	:	निदेशक एवं अंशधारक
4.	श्रीमती सुमन कुमारी	:	निदेशक एवं अंशधारक
5.	श्रीमती पूनम देवी	:	निदेशक एवं अंशधारक
6.	श्री बलजिंदर सिंह	:	विशेषज्ञ निदेशक
7.	श्री धर्मेन्द्र कुमार	:	मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक
8.	श्री सौरभ जैन	:	कंपनी सचिव

ए. श्रीमती पिकी शर्मा ने बैठक के लिए अध्यक्ष का पद निर्वहन किया और कंपनी सचिव से बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित उपस्थिति और कोरम की पुष्टि करने को कहा।

बी. इसके बाद, कंपनी सचिव श्री सौरभ जैन ने बताया कि उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार 19,627 इक्विटी शेयर रखने वाले 234 शेयरधारक व्यक्तिगत रूप से एवं 7,20,282 इक्विटी शेयर रखने वाले 26,502 शेयरधारक प्रॉक्सी के माध्यम से सभा में उपस्थित थे। उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA (9) एवं कंपनी के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार अपेक्षित कोरम 26,736 सदस्यों का है।

सी. अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से यह सुनिश्चित करने के बाद घोषणा की कि सभा में आवश्यक कोरम मौजूद है।

डी. उन्होंने बताया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर और निदेशक की अंशधारिता रजिस्टर, वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य वैधानिक रजिस्टर उपलब्ध थे और निरीक्षण के लिए खुले थे। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं थी और इस प्रकार ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

ई. अध्यक्ष ने कंपनी की नौवीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों और निदेशकों का स्वागत किया। इसके बाद अध्यक्ष ने कंपनी के मूल्य, विजन और मिशन को पढ़कर बैठक की कार्यवाही शुरू की।

एफ. उपस्थित सदस्यों की सर्व सहमति से, नौवीं वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना, जो सदस्यों को पहले ही वितरित की जा चुकी थी, को पढ़ा हुआ मान लिया गया।

जी. इसके बाद, अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कंपनी के संचालन और कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

सदस्याओं को संबोधन समाप्त करने के बाद, अध्यक्ष ने बैठक को नौवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने का निर्देश दिया।

इसके बाद, अध्यक्ष की सलाह पर, कंपनी सचिव ने बैठक के एजेंडा मदों को एक-एक करके लिया:

**1. 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि का अंकेक्षित आर्थिक चिट्ठा, लाभ-हानि, खाता तथा उस अवधि की निदेशकों की रिपोर्ट व अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना।**

1.1 श्रीमती सूरज बाई (फोलियो संख्या: 3076) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

**संकल्प संख्या: 01/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि 31 मार्च 2024 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, अनुसूचियों और नोटों के साथ-साथ कंपनी के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा स्वीकृत और अंगीकृत किया जाता है।"

श्रीमती शहनाज (फोलियो नं.: 56532) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**2. कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना।**

2.1 श्रीमती राजबाला (फोलियो संख्या: 3302) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

**संकल्प संख्या: 02/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि सीमित लाभांश (डिविडेंड) कम्पनी की समता अंश पूंजी पर रू. 8/- प्रति समता अंश की दर से, कम्पनी के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लाभों में से रू. 100/- वाले पूर्ण प्रदत्त 9,20,754 समता अंशों पर रू. 73,66,032 (तिहेतर लाख छियासठ हजार बत्तीस रुपये मात्र) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये देने का अनुमोदन एवं पुष्टि की जाती है और इसका भुगतान उन समता अंशधारकों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है।

श्रीमती जरसीदा (फोलियो नं.: 43424) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

3. श्रीमती कौशल्या देवी (डीआईएन 08961621) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं के स्थान पर श्रीमती सविता देवी (डीआईएन 10762144) (कक्षा-ए का प्रतिनिधित्व) का निदेशक के रूप में विचार करना एवं नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाने के लिए।

3.1 श्रीमती चमेली शर्मा (फोलियो संख्या: 4153) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या: 03/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो कंपनी की निदेशक श्रीमती कौशल्या देवी (डीआईएन 08961621) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और अयोग्य होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सविता कुमारी (डीआईएन 10762144) को निदेशक के रूप में नियुक्त करके भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती बबीता देवी (फोलियो नं.: 60469) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

4. श्रीमती सुनीता बाई (डीआईएन 09312203) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं के स्थान पर श्रीमती सुमन कुमारी (डीआईएन 10762302) (कक्षा-ए का प्रतिनिधित्व) का निदेशक के रूप में विचार करना एवं नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाने के लिए ।

4.1 श्रीमती ओमी देवी (फोलियो संख्या: 9895) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या: 04/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो कंपनी की निदेशक श्रीमती सुनीता बाई (डीआईएन 09312203) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं और अयोग्य होने के कारण स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं करती हैं और परिणामस्वरूप रिक्ति को श्रीमती सुमन कुमारी (डीआईएन 10762302) को निदेशक के रूप में नियुक्त करके भरा जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती ममता देवी (फोलियो नं.: 9911) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

5. श्रीमती सरोज देवी (डीआईएन 10762476) (क्लास-ए का प्रतिनिधित्व) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना।

5.1 श्रीमती मुनेश (फोलियो संख्या: 27279) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या: 05/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152, 161, 378 पी के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो श्रीमती सरोज देवी (डीआईएन 10762476) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती अनीता कुमारी (फोलियो नं.: 23704) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**6. श्रीमती दया शर्मा (डीआईएन 10762534) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना।**

6.1 श्रीमती संजू देवी (फोलियो संख्या: 26585) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

**संकल्प संख्या: 05/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152, 161, 378 पी के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो श्रीमती दया शर्मा (डीआईएन 10762534) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती पूनम (फोलियो नं.: 30148) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

**7. श्रीमती गायत्री सिहाग (डीआईएन 10762543) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन करना।**

7.1 श्रीमती कंचन कुमारी (फोलियो संख्या: 67287) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

**संकल्प संख्या: 07/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रावधानों के अनुसार धारा 152, 161, 378 पी के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यदि कोई हो तो श्रीमती गायत्री सिहाग (डीआईएन 10762543) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। जिनकी कार्यालय अवधि रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

श्रीमती पूजा कँवर (फोलियो नं.: 57394) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

## 8. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार और अनुमोदन करना।

8.1 श्रीमती अंजना देवी (फोलियो संख्या: 63821) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या:** 08/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25

"संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी के अंतर्नियमो एवं बहिर्नियमो के लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 13,00,00,000/- (केवल तेरह करोड़ रुपये) 13,00,000 इक्किटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक से 25,00,00,000/- (पच्चीस करोड़ रुपये) 25,00,000 (पच्चीस लाख) इक्किटी शेयरों में विभाजित 100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के अतिरिक्त 12,00,000 (बारह लाख) रु.100/- (रुपये एक सौ) प्रत्येक के इक्किटी शेयरों के सृजन द्वारा बढ़ाई जाती है ।

"आगे यह संकल्प लिया गया है कि, कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन को इसके मौजूदा क्लॉज VI को निम्नलिखित नए क्लॉज VI से प्रतिस्थापित करके बदला जा सकता है।

"छठी। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 25,00,00,000 रुपये है। (पच्चीस करोड़ रुपये) जो कि 100/- रुपये के (एक सौ रुपये) प्रत्येक के इक्किटी शेयरों में विभाजित है ।"

**आगे संकल्प किया गया है कि,** इस संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के मुख्य कार्यकारी इस तरह के सभी कदम उठाने के लिए और इस तरह के सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत हैं ।

श्रीमती मंजू देवी (फोलियो नं.: 50780) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

## 9. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ सेकेंडमेंट समझौते पर विचार करना और अनुमोदन करना।

9.1 श्रीमती सुषमा देवी (फोलियो संख्या: 51122) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया ।

**संकल्प संख्या:** 09/9<sup>TH</sup> AGM:24.09.2024/2024-25

"संकल्प लिया गया है कि कंपनी के मेमोरेण्डम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय **XXIA** के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, अन्य लागू कानून / वैधानिक प्रावधान, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित, जो फिलहाल लागू है), कंपनी के सदस्यों की मंजूरी कंपनी को एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ सेकेंडमेंट व्यवस्था/समझौते में प्रवेश करने और सेकेंडमेंट व्यवस्था से संबंधित सभी निष्पादित लेनदेन का अनुसमर्थन करने और लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/समझौते में प्रवेश करने और/या जारी रखने सेकेंडमेंट व्यवस्था के लिए दी जाती है।

**आगे संकल्प लिया गया कि** कंपनी द्वारा इस व्यवस्था/समझौते को समाप्त करने के लिए सामान्य बैठक में सदस्यों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी।

**आगे संकल्प लिया गया कि** कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प के कार्यान्वयन के लिए जब भी आवश्यक हो, एनडीएस के साथ आवश्यक समझौते/अनुबंध पर हस्ताक्षर करने/निष्पादित करने के लिए किसी भी निदेशक को शक्ति सौंपने सहित सभी कार्य और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

श्रीमती अन्नू पूनिया (फोलियो नं.: 62082) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

## 10. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') को दूध की आपूर्ति पर विचार करना और मंजूरी देना।

10.1 श्रीमती गीता देवी (फोलियो संख्या: 55890) ने एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प प्रस्तावित किया।

**संकल्प संख्या: 10/9<sup>TH</sup> AGM: 24.09.2024/2024-25**

"संकल्प लिया गया है कि कंपनी के मेमोरेण्डम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अध्याय **XXIA** के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़े गए अधिनियम के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, अन्य लागू कानून / वैधानिक प्रावधान, यदि कोई हो (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः

अधिनियमन सहित, जो फिलहाल लागू है), कंपनी के सदस्यों की मंजूरी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज ('एनडीएस') के साथ दिनांक 05 अप्रैल, 2024 से दूध की आपूर्ति के लिए आपूर्ति समझौते किसी भी संशोधन, संशोधन सहित, विस्तार लेनदेन/अनुबंध/व्यवस्था/ समझौते के लिए प्रदान की जाती है।

**आगे संकल्प लिया गया कि** कंपनी के निदेशक मंडल को इस संकल्प के कार्यान्वयन के लिए जब भी आवश्यक हो, एनडीएस के साथ आवश्यक समझौते/अनुबंध पर हस्ताक्षर करने/निष्पादित करने के लिए किसी भी निदेशक को शक्ति सौंपने सहित सभी कार्य और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है।'

श्रीमती मणी देवी (फोलियो नं.: 73056) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

### 11. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।

11.1 श्रीमती मिथलेश (फोलियो नंबर: 48471) ने सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को प्रस्तावित किया।

**संकल्प संख्या: 11/9<sup>TH</sup> AGM: 24.09.2024/2024-25**

"संकल्प पारित किया गया कि 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जैसा कि वार्षिक आम बैठक से पहले रखा गया था और इसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

श्रीमती उषा कुमारी (फोलियो संख्या: 48492) ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्षा महोदया ने संकल्प को वोट के लिए रखा जिसको सभी सदस्याओं ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पारित किया।

12. बैठक में लेन-देन करने के लिए कोई अन्य कार्य नहीं होने के कारण, अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक संपन्न हुई।

बैठक का कार्यवृत्त: 04.10.2024 को दर्ज किया गया

दिनांक: 04.10.2024

अध्यक्षा

स्थान : अलवर

## सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट

आयगत बजट					
क्रम	विवरण	माप की इकाई	बजट वित्त वर्ष 24-25	आउटलुक वित्त वर्ष 24-25	प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 25-26
(I)	दूध खरीद मात्रा	(किलोग्राम प्रतिदिन)	480,589	393,244	557,127
(II)	दूध परिचालन से आय	(लाख रूपये में)	84,213.03	66,725.92	111,277.00
(III)	खरीद मूल्य	(लाख रूपये में)	73,424.23	58,766.92	98,099.38
(IV)	सहायक मार्जिन	(लाख रूपये में)	2,009.68	963.47	2,088.54
(V)	लोजिस्टिक लागत	(लाख रूपये में)	2,057.47	1,857.77	5,354.96
(VI)	अन्य दूध परिचालन लागत	(लाख रूपये में)	2,575.57	2,375.03	3,553.79
(VII)	विक्रय एवं विपणन खर्चे	(लाख रूपये में)	-	-	6.00
(VIII)	स्थायी लागत	(लाख रूपये में)	1,541.79	1,134.81	1,631.44
	<b>दूध परिचालन से लाभ / (हानि)</b>	<b>(लाख रूपये में)</b>	<b>2,604.28</b>	<b>1,627.91</b>	<b>542.88</b>
(IX)	अनुदान सहायता-दूध परिचालन	(लाख रूपये में)	172.24	128.64	(12.66)
<b>(X)</b>	<b>अनुदान सहायता के बाद दूध परिचालन से लाभ / (हानि)</b>	<b>(लाख रूपये में)</b>	<b>2,776.53</b>	<b>1,756.56</b>	<b>530.22</b>
(XI)	पीइएस क्रियाओं के लिए आयगत खर्चे	(लाख रूपये में)	317.47	101.65	398.27
(XII)	पीइएस परिचालन से घाटा	(लाख रूपये में)	(317.47)	(101.65)	(398.27)
(XIII)	अनुदान सहायता- पीइएस परिचालन	(लाख रूपये में)	93.57	16.02	126.63
XIV	पीइएस क्रियाओं से लाभ हानि	(लाख रूपये में)	(223.90)	(85.63)	(271.64)
XV	बायो गैस प्लांट इंसेंटीव से आय	(लाख रूपये में)	-	-	14.00
XVI	धानी से अनुदान सहायता - खुदरा विपणन	(लाख रूपये में)	-	-	-
XVII	अन्य आय	(लाख रूपये में)	265.91	514.41	240.46
<b>XVIII</b>	<b>कर पूर्व लाभ / (हानि)</b>	<b>(लाख रूपये में)</b>	<b>2,646.29</b>	<b>2,056.70</b>	<b>513.04</b>

पूंजीगत बजट					
क्रम	विवरण	माप की इकाई	बजट वित्त वर्ष 24-25	आउटलुक वित्त वर्ष 24-25	प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 25-26
<b>A</b>	<b>दूध परिचालन</b>				
(I)	एमपीपी सेट अप लागत	(लाख रूपये में)	-	-	33.08
(II)	केन्स	(लाख रूपये में)	45.00	39.74	119.07
(III)	बीएमसी	(लाख रूपये में)	-	-	-
(IV)	एचओ सेटअप	(लाख रूपये में)	3.00	-	5.00
(V)	आईसीटी	(लाख रूपये में)	21.70	3.89	152.96
(VI)	डीपीएमसीयू	(लाख रूपये में)	66.00	59.40	759.62
(VII)	बीएमसी ऐसीसीरिज	(लाख रूपये में)	6.00	2.38	168.47
(VIII)	एएमसीयू	(लाख रूपये में)	-	-	11.58
(IX)	मार्केटिंग प्लान सेटअप	(लाख रूपये में)	-	-	224.10
	<b>केपेक्स- दूध परिचालन</b>	<b>(लाख रूपये में)</b>	<b>141.70</b>	<b>105.41</b>	<b>1,473.87</b>
(X)	अनुदान सहायता केपेक्स- दूध परिचालन	(लाख रूपये में)			688.91
	<b>स्वयं के फंड से केपेक्स</b>	<b>(लाख रूपये में)</b>	<b>141.70</b>	<b>105.41</b>	<b>784.96</b>

I	कुल केपेक्स	(लाख रूपये में)	<b>141.70</b>	<b>105.41</b>	<b>1,473.87</b>
II	कुल केपेक्स अनुदान	(लाख रूपये में)	-	-	688.91
III	<b>स्वयं के फंड से केपेक्स</b>	<b>(लाख रूपये में)</b>	<b>141.70</b>	<b>105.41</b>	<b>784.96</b>

## सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय : प्लाट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

फॉर्म संख्या एमजीटी-11

प्रतिनिधि फॉर्म

[कंपनी अधिनियम की धारा 105(6) और (कंपनी प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19 (3) के अनुशरण में]

सदस्या का नाम	
पता	
ई मेल	
फोलियो संख्या	
सदस्यता कोड	

मै/हम .....ऊपर लिखित कंपनी के अंशों की सदस्या होते हुए एतद्वारा

- नाम.....  
ई-मेल.....  
फोलियो.....  
हस्ताक्षर..... या उनकी अनुपस्थिति में
- नाम.....  
ई-मेल.....  
फोलियो.....  
हस्ताक्षर..... या उनकी अनुपस्थिति में
- नाम.....  
ई-मेल.....  
फोलियो.....  
हस्ताक्षर..... या उनकी अनुपस्थिति में

को कंपनी की शनिवार, दिनांक 27 सितम्बर 2025 को दोपहर 01:15 बजे प्रताप ऑडिटोरियम, स्कीम न.-8, अलवर (राज.)-301001 अथवा किसी भी अन्य स्थान/समय पर होने वाली दशवी वार्षिक आम सभा में मेरी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने और और आगे वर्णित प्रस्तावों के सम्बन्ध में वोट डालने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ ।

क्रम स.	प्रस्ताव	मतदान		
		पक्ष में	विपक्ष में	तटस्थ
1	31 मार्च, 2025 को लेखापरीक्षित बैलेंस शीट, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण तथा उस पर निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना ।			
2	कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोषित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पारित करना ।			

3	श्रीमती पिकी शर्मा (डीआईएन 09312032) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं, के स्थान पर श्रीमती सावित्री यादव (डीआईएन 11270236) (क्लास-बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में विचार और नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
4	श्रीमती बबिता (डीआईएन 09678588) (क्लास -बी का प्रतिनिधित्व) को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार करना और नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
5	श्रीमती रेखा कुमारी (डीआईएन 09678813) (नो क्लास का प्रतिनिधित्व) जो आगामी वार्षिक आम बैठक में रोटेशन से सेवानिवृत्त होती हैं और अपात्र होने के कारण पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करती हैं और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में अपनाना।			
6	कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि पर विचार एवं अनुमोदन करना और इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना ।			
7	एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित की जाने वाली बहुराज्यीय सहकारी संस्था की शेयर पूंजी पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित को विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना।			
8	निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोर्ड में रिक्त पद के लिए पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदनों की जांच करने के लिए 'नामांकन समिति के गठन के लिए दिशानिर्देशों' के संशोधन पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।			
9	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना।			

दिनांक .....सितम्बर 2025 को हस्ताक्षर किये गए ।

अंशधारक के हस्ताक्षर:

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर:

नोट: ध्यान रहे की प्रतिनिधि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुंचना आवश्यक है तथा प्रतिनिधि को कंपनी की सदस्यता होना अनिवार्य है ।

रूपये	एक
का	रेवेन्यू
टिकट	लगाये



## सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

कोर्पोरेट पहचान संख्या : U01122RJ2016PTC049648

पंजीकृत कार्यालय : प्लाट संख्या 8-बी, रूपवास रोड, भवानी तोप, अलवर (राज.)-301002

टेलीफोन 0144-2330332

ई-मेल: alwar.mpc@gmail.com वेबसाईट www.sakhimilk.com

### उपस्थिति पर्ची

फोलियो संख्या

सदस्या कोड

मैं शनिवार 27 सितम्बर, 2025 को सखी महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की दसवीं वार्षिक आम सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करती हूँ।

अंशधारक का नाम	
प्रतिनिधि का नाम	
अगर प्रतिनिधि सभा में भाग ले रही है तो	

(ए) उपस्थिति के लिए .....

(बी) उपस्थिति और वोट देने के लिए .....

अंशधारक/ प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

\*जो लागू नहीं होता उसे काट दे

# वार्षिक आम सभा स्थल का रूटमैप

वार्षिक आम सभा स्थल  
प्रताप ऑडिटोरियम  
स्कीम नं. 8, अलवर



1. आम सभा स्थल पंजीकृत कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर।
2. आम सभा स्थल रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर।
3. आम सभा स्थल बस स्टेण्ड से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।



# सखी घी

खाने को बनाए अति स्वादिष्ट  
और सेहत को बनाए तंदुरुस्त



Sakhi Milk  
Vending Machine



## Sakhi Mahila Milk Producer Company Limited

Plot No. 8B, Roopwas Road, Near Bhawani Top Circle, Alwar-301002 (Raj.)

Toll Free : 76653 58358 admin@sakhimilk.com www.sakhimilk.com